वन अधिकार कानून मार्गदर्शिका

घुमंतू पशुपालक समुदायों के साथ कार्य करने वाले संगठनों के लिए

Centre for Pastoralism

Centre for Pastoralism

घुमंतू पशुपालक समुदायों के लिए

वन अधिकार कानून पर सहयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका

संकलन

तुषार दाश

वियोना मोहन

सहयोग

रमेश भट्टी

शौर्यमोय दास

अमित राठी

सेंटर फॉर पेस्टोरलिस्म द्वारा प्रकाशित, अगस्त 2021

सेंटर फॉर पेस्टोरलिस्म, 2021

रूपरेखा
अनुज़ा खोखानी

संपादन
छानी बुंगसुत

सेंटर फॉर पेस्टोरलिस्म
115, शाह पुर जाट ग्राम
तीसरी मंज़िल
नई दिल्ली 110049

www.centreforpastoralism.org

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस दस्तावेज़ को CC BY-NC-SA (एट्रीब्यूशन (श्रेय देना अनिवार्य)-नॉनकमर्शियल (गैर-व्यावसायिक)-शेयर अलाइक(इन्हीं शर्तों पर पुनर्प्रकाशन)) लाइसेंस के तहत कॉपीराइट किया गया है।

इस लाइसेंस के तहत अन्य व्यक्ति हमें श्रेय देते हुए और अपनी कृतियों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराते हुए गैर-व्यवसायिक रूप से इस दस्तावेज़ में फेर-बदल करके, इसे रूपांतरित करके या इसे आधार बनाकर नई कृतियों का सृजन कर सकते हैं।

समर्थन
रोहिणी नीलेकनी फिलेनथ्रॉपीज़
अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन

आभार
सामग्री और दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए हम इन संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे:

सहजीवन

हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा

सामग्री और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए:

राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एससीएसटीआरटीआई कैंपस, भुवनेश्वर),

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एसटी व एससी विकास विभाग,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, वसुंधरा, भुवनेश्वर

भूमिका

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य, वन अधिकार कानून के तहत दावे दायर करने में घुमंतू पशुपालकों को सहयोग देने वाली संस्थाओं के लिए एक मार्गदर्शिका और हस्तपुस्तिका उपलब्ध कराना है। इस दस्तावेज़ में वन अधिकार कानून में शामिल की गयी उन मुख्य परिभाषाओं और अधिकारों की सूची दी गयी है जिनकी ज़रुरत अक्सर दावे दायर करने की प्रक्रिया के दौरान पड़ती है। दावों के सत्यापन और निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल सभी प्राधिकरणों/समितियों की संरचना और ज़िम्मेदारियों का ब्यौरा भी इस दस्तावेज़ में दिया गया है। वन अधिकार कानून के तहत दावे दायर करने की प्रक्रिया के दौरान इन महत्वपूर्ण प्रावधानों और ज़िम्मेदारियों का संदर्भ, इन प्राधिकरणों (ग्राम सभा/उपखंड/जिला स्तरीय समिति) की जवाबदेही को और प्रभाशाली बनाता है। इस दस्तावेज़ में दावे दायर करने के लिए ज़रूरी विभिन्न प्रकार के प्रमाणों और नक्शों का विवरण भी दिया गया है। और इस दस्तावेज़ के अंत में गुजरात और हिमाचल के कुछ सफल प्रयासों के अध्ययन के ज़रिये, सहयोगकर्ताओं के लिए वन अधिकार कानून के तहत पट्टे हासिल करने की प्रक्रिया की बारीकियों के असल-ज़िन्दगी के ज़मीनी उदहारण भी दिए गए हैं।

फोटो सौजन्य: ऋतायन मुखर्जी

चांगथांग, लद्दाख में अपनी याक के साथ चांगपा घुमन्तू पशुपालक

विषय सूची

01 घुमंतू पशुपालन और वन अधिकार अधिनियम

- वन अधिकार अधिनियम क्या है? 08
- घुमंतू पशुपालन और वन अधिकार कानून 09
- मुख्य परिभाषाएं 13

02 वन अधिकार अधिनियम के तहत घुमंतू पशुपालक समुदायों के अधिकार

- वन अधिकार अधिनियम और घुमंतू पशुपालक समुदायों के अधिकार 16

03 प्राधिकरण और उनकी ज़िम्मेदारियाँ

- दावे दायर किये जाने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया में वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों की भूमिका 18
- ग्राम सभा 20
- वन अधिकार समिति 22
- उपखंड स्तरीय समिति 23
- जिला स्तरीय समिति 24
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति 25

04 दावे दायर करने और उनके निर्धारण की प्रक्रिया

- दावे दायर करने की प्रक्रिया 28
- एक से अधिक प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले दावों को दायर करने की प्रक्रिया 30
- प्रमाण 31
- नक्शा तैयार करना (मानचित्रण) 36

05 शिकायत और अपील

- शिकायत और अपील 40
- अपील प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरणों की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 41

06 कुछ सफल उदाहरण और उनसे मिलने वाले सबक

- केस अध्ययन I 44
- केस अध्ययन II 48

घुमंतू पशुपालन और वन अधिकार अधिनियम

वन अधिकार अधिनियम घुमंतू पशुपालक जैसे वन-निवासी समुदायों द्वारा अपने रोज़गार, निवास और अन्य सामजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों के लिए जंगलों के इस्तेमाल के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।

वन अधिकार अधिनियम क्या है?

भारत में घुमंतू पशुपालक समुदायों सहित ऐसे लाखों परिवार हैं जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। आदिकाल से ही इन समुदायों का जंगलों से नज़दीकी का और अटूट रिश्ता रहा है।

भारत में घुमंतू पशुपालक समुदायों सहित ऐसे लाखों परिवार हैं जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। आदिकाल से ही इन समुदायों का जंगलों से नज़दीकी का और अटूट रिश्ता रहा है। अपने अस्तित्व के लिए जंगलों के महत्व को पहचानते हुए, यह समुदाय साझा स्वामित्व, सामुदायिक मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर इन जंगलों का प्रबंधन करते रहे हैं। इमारती लकड़ी के लिए व्यावसायिक स्तर पर जंगलों के दोहन को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियों के कारण, इन जंगलों पर समुदायों के स्वामित्व और पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया गया और जंगलों तक उनकी पहुंच को सीमित कर दिया गया। इसके चलते समय के साथ, कई परिवारों के रोज़गार उन से छिन गए और उन्हें समाज के हाशिये पर धकेल दिया गया।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 एक ऐतिहासिक कानून है जो वन-निवासी आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन-निवासी समुदायों के उन वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर यह समुदाय रोज़गार, निवास और अन्य सामजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों के लिए निर्भर हैं। इस कानून के पारित किये जाने तक, ब्रिटिश काल की और स्वतंत्रता के बाद के भारत की वन प्रबंधन नीतियों में जंगलों और उनपर निर्भर समुदायों के बीच के सहजीवन के रिश्तों और वन संरक्षण से जुड़ी इन समुदायों की पारंपरिक समझ, दोनों को ही नज़रअंदाज़ किया जाता रहा।

फोटो सौजन्य: हशमत सिंह

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अल्पाइन घास के मैदान में चरती हुई भेड़ें

इस कानून के तहत वैयक्तिक और सामुदायिक, दोनों तरह के अधिकारों के लिए प्रावधान किये गए हैं। वैयक्तिक अधिकारों में खुद खेती करने और आवास का अधिकार शामिल है। सामुदायिक अधिकारों के दायरे में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जो पारंपरिक रूप से समुदायों के जंगलों के साथ टिकाऊ रिश्तों पर आधारित रही हैं, जिसमें घुमंतू पशुपालकों द्वारा चारागाहों का मौसमी इस्तेमाल भी शामिल है।

इस कानून के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन-निवासी समुदायों, दोनों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। अतः, **अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति, दोनों तरह के समुदायों के घुमंतू पशुपालक इस कानून के तहत अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं**। समुदाय की बुनियादी ज़रूरतों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल के सन्दर्भ में भी, इस कानून के तहत प्रभावितों के अधिकारों के लिए प्रावधान किये गए हैं। वन अधिकार कानून अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन-निवासियों को वन भूमि से बेदखली और विस्थापन के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।

घुमंतू पशुपालन और वन अधिकार कानून

कुछ अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में घुमंतू पशुपलकों की संख्या 1-1.2 करोड़ है, और अन्य आंकड़े के अनुसार इस संख्या को 3.5 करोड़ तक भी बताया जाता है। भारत के घुमंतू पशुपालक करीब 200 अलग-अलग समुदायों से आते हैं और कुल 5 करोड़ पशुधन की देखरेख का काम करते हैं। आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन-निवासियों की ही तरह, घुमंतू पशुपालकों की भी भूमि और जंगलों तक पहुंच पर सरकारी वनों को आरक्षित और अन्य श्रेणी के वनों के रूप में वर्गीकृत किये जाने का विपरीत असर पड़ा है। सरकारी वनों के अधिसूचित किये जाने के कारण, घुमंतू पशुपालकों की चरागाहों तक पारंपरिक पहुंच और नियंत्रण उनसे छिन गया है, जिसके उदाहरण कच्छ के बन्नी चारागाह (संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित) और हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित बड़ा भंगाल क्षेत्र (वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित) में देखे जा सकते हैं।

घुमंतू पशुपालकों का घुमंतू होना चारागाहों पर उनके अधिकारों को लेकर जटिलता की एक और परत जोड़ देता है, जिसके कारण अन्य समुदायों के मुकाबले वन अधिकार कानून के तहत घुमंतू पशुपालकों द्वारा बहुत कम दावे दायर किये गए हैं। अपने पलायन के दौरान घुमंतू पशुपालक कई भू-संसाधनों का मौसमी इस्तेमाल करते हैं और साल के बाकी समय वे अन्य समुदायों के साथ गांव के साझा संसाधनों पर निर्भर होते हैं। पलायन के दौरान घुमंतू पशुपालकों द्वारा किये जाने वाले भू-संसाधनों के मौसमी इस्तेमाल का विरोध वन विभाग द्वारा किया जाता है, जो घुमंतू पशुपालन को जैव-विविधता, वन्यजीव और अन्य पारिस्थितिकी सेवाओं के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं।

फोटो सौजन्य: ईशान रघुनंदन

कच्छ के कंटीले जंगलों में अपनी बकरियों के साथ घुमंतू पशुपालक

फोटो सौजन्य: अमित राठी

उत्तराखंड में चरती हुई वन गुज्जर समुदाय की भैंसे

फोटो सौजन्य: इम्मानुएल थेओफिलस

कुमाऊं की खुली वन भूमि पर चरती भेड़ों का झुंड

फोटो सौजन्य: शौर्यमय डी

धवलपुरी के चारागाह में चरती दक्खनी भेड़ें और उनकी निगरानी करता हुआ एक कुत्ता

साल के बाकी समय, साझा संसाधनों के इस्तेमाल के लिए बसे हुए समुदायों के साथ होने वाली होड़, घुमंतू पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है।

मौसमी पलायन के कारण घुमंतू पशुपालकों के इन दोनों ही जगहों पर अधिकार असुरक्षित होते हैं, और यह दोहरा संघर्ष उन्हें संसाधनों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले अन्य समुदायों से अलग करता है। पहले, घुमंतू पशुपालक गतिशील होने के कारण अपने इलाकों में भी हमेशा प्रवासी की तरह ही होते हैं और सार्वजनिक स्थलों से 6 महीनों तक या कभी इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक ओझल रहते हैं। दूसरा, घनी आबादी वाले इलाकों में घुमंतू पशुपालक अक्सर गांव की उन साझा स्वामित्व वाली ज़मीनों का चराई के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका इस्तेमाल स्थानीय किसान भी अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे होते हैं। इन दोनों स्थितियों में, घुमंतू पशुपालकों को बाहर वालों के रूप में देखा जाता है, और घुमंतू समुदायों की निर्णय-प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव डालने की क्षमता, गांव के बसे हुए समुदाय के मुकाबले न के बराबर होती है।

वन अधिकार कानून के तहत, दावा दायर करने की प्रक्रिया सबसे पहले ग्राम सभा के स्तर पर शुरू होती है। घुमंतू पशुपालक समुदायों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी के साथ ग्राम सभा द्वारा **वन अधिकार समिति** का गठन किया जाता है। दावे और उनसे संबंधित प्रमाण प्राप्त होने पर वन अधिकार समिति द्वारा उन्हें लिखित में स्वीकार किया जाता है, घुमंतू पशुपालक समुदायों की मौजूदगी में समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है और दावे वाले इलाके का एक नक्शा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर एक प्रस्ताव पारित करके, ग्राम सभा दावे को उपखंड स्तरीय समिति को भेजती है। **उपखंड स्तरीय समिति** इस दावे के संबंध में अपनी सिफारिश को **जिला स्तरीय समिति** को आगे की कार्रवाई के लिए भेजती है। जिला स्तरीय समिति अधिकार-अभिलेख (अधिकारों का लिखित दस्तावेज़) तैयार करके, दावेदारों को पट्टा जारी करती है। अगर किसी भी स्तर (ग्राम सभा/उपखंड/जिला स्तर) पर दावों को अस्वीकार या उसमें

बदलाव किया जाता है तो इससे संबंधित जानकारी दावेदारों को लिखित में दी जानी चाहिए।

मुख्य परिभाषाएं

वन अधिकार अधिनियम के तहत घुमंतू पशुपालक समुदायों के लिए महत्व रखने वाली कुछ मुख्य परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

- वन अधिकार अधिनियम की धारा 2(d) के अनुसार **'वन भूमि'** का अर्थ वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की भूमि से है और इसमें अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन, मौजूदा या माने गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी वन क्षेत्र वन अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं, जिनमें वन विभाग द्वारा दर्ज किये गए और दर्ज नहीं किये गए वन क्षेत्र, दोनों शामिल हैं।
- सामुदायिक वन संसाधन का अर्थ है गांव की परंपरागत या रूढ़िगत सीमा में आने वाली वन भूमि या **घुमंतू पशुपालकों/चरागाही समुदायों द्वारा मौसमी तौर पर उपयोग किये जाने वाले भू-संसाधन**, जिनमें ऐसे आरक्षित वन, संरक्षित वन और अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं जिनका समुदाय परंपरागत रूप से इस्तेमाल करते आये हैं।
- अनुसूचित जनजाति/अन्य पारंपरिक वन निवासी का अर्थ :

  वन निवासी अनुसूचित जनजाति: का अर्थ है अनुसूचित जनजाति के सदस्य या समुदाय जो प्राथमिक रूप से जंगलों में निवास करते हों और अपनी जीविका की वास्तविक ज़रूरतों के लिए जंगलों या वन भूमि पर निर्भर हों, और इनमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले घुमंतू पशुपालक समुदाय शामिल हैं;

  अन्य पारंपरिक वन निवासी: का अर्थ है ऐसे कोई भी सदस्य या समुदाय जिनकी 13 दिसंबर 2005 से पहले तक कम से कम तीन पीढ़ियां प्राथमिक रूप से जंगलों में निवास करती रही हों और जो अपनी जीविका की वास्तविक ज़रूरतों के लिए जंगलों या वन भूमि पर निर्भर रहे हों। ◆

आरक्षित वन

संरक्षित वन

राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभ्यारण्य

वन अधिकार अधिनियम के तहत घुमंतू पशुपालक समुदायों के अधिकार

वन अधिकार अधिनियम के कई मुख्य अधिकार और प्रावधान विशेष रूप से घुमंतू पशुपालकों के परंपरागत चराई संसाधनों पर अधिकारों से संबंधित है।

वन अधिकार अधिनियम और घुमंतू पशुपालक समुदायों के अधिकार

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे दायर करने की प्रक्रिया में जिन ज़रूरी अधिकारों और प्रावधानों का सन्दर्भ अक्सर आता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है।

सामुदायिक वन अधिकार: इनमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं :

1. चराई
2. मछली पकड़ना और जंगलों में स्थित जलाशयों का इस्तेमाल
3. **घुमंतू और चरगाही समुदायों की पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच:** घुमंतू और चरगाही समुदायों को अपने मौसमी पलायन के मार्ग में पड़ने वाले चारागाह इस्तेमाल करने का अधिकार है
4. जैव-विविधता तक पहुंच
5. बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार
6. पारंपरिक रूढ़िगत अधिकारों को मान्यता
7. टिकाऊ इस्तेमाल के उद्देश्य से किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्विकास या संरक्षण

अधिनियम की धारा 3 के तहत घुमंतू पशुपालक समुदायों के महत्वपूर्ण अधिकार:

1. धारा 3(1)(बी): सामुदायिक अधिकार या निस्तार के अधिकार जिनमें वे सभी अधिकार शामिल हैं जो भूतपूर्व रियासतों या ज़मींदारी या अन्य मिश्रित प्रशसनों के तहत उन्हें हासिल थे।
2. धारा 3(1)(सी): ऐसे लघु वन उत्पाद, जिन्हें गांव की सीमा के भीतर या बाहर परंपरागत रूप से इकठ्ठा किया जाता था, उन पर स्वामित्व, इकठ्ठा करने के लिए उन तक पहुंच, इस्तेमाल या निस्तारण के अधिकार।
3. **धारा 3(1)(डी): घुमंतू और चरागाही समुदायों (बसे या घुमंतू दोनों) के मछली और जलाशयों के अन्य उत्पादों, चारागाह का इस्तेमाल या उन पर हक़दारी और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के सामुदायिक अधिकार;**
4. धारा 3(1)(आई): टिकाऊ इस्तेमाल के लिए जिस सामुदायिक वन संसाधन की परंपरागत रूप से सुरक्षा और संरक्षण किया जाता रहा हो, उसकी सुरक्षा, पुनर्विकास, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार।
5. धारा 3(1)(के): इसमें जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार शामिल है। ◆

प्राधिकरण और उनकी ज़िम्मेदारियाँ

वन अधिकार अधिनियम के तहत, दावे दायर किये जाने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों की ख़ास भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ तय की गयी हैं।

दावे दायर किये जाने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया में वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों की भूमिका

अधिकारों के दावे दायर करने की प्रक्रिया की शुरुआत वन क्षेत्रों के कच्चे नक़्शे बनाए जाने से की जाती है, जो ग्राम निवासियों द्वारा ग्राम सभा के ज़रूरी सहयोग से तैयार किये जाते हैं। इन नक्शों को फिर ज़मीनी वास्तविकता के आधार पर सत्यापित किया जाता है, और उसके बाद उच्च प्राधिकरणों को भेजा जाता है। ***यह ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है कि वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा को एक सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा दिया गया है, और अगर उच्च प्राधिकरण ग्राम सभा के दावों को अस्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा इसका पुख्ता कारण दिया जाना अनिवार्य है।***

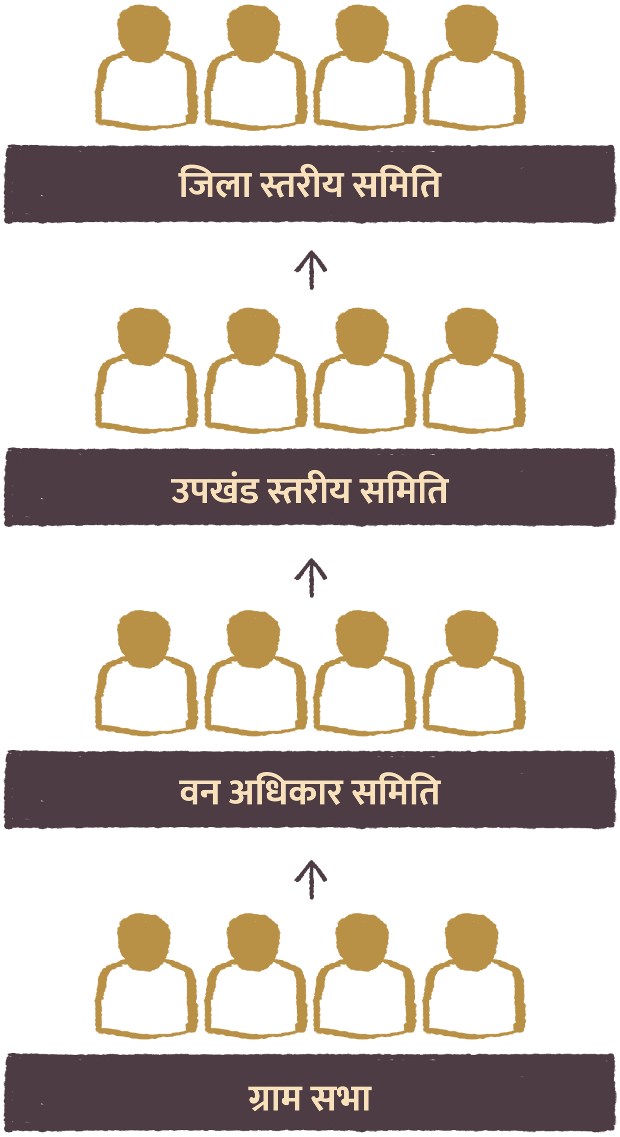

यह ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है कि वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा को एक सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा दिया गया है, और अगर उच्च प्राधिकरण ग्राम सभा के दावों को अस्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा इसका पुख्ता कारण दिया जाना अनिवार्य है।

सामुदायिक वन अधिकार के दावों पर चर्चा के लिए ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा

वन अधिकार अधिनियम के तहत, समुदाय को दिए जाने वाले वैयक्तिक या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा तय करने की प्रक्रिया ग्राम सभा के स्तर पर शुरू की जाती है।

❖ ग्राम सभा का आयोजन

घुमंतू पशुपालक समुदाय के पलायन के पैटर्न और संसाधनों तक उनकी पहुंच की ज़रूरतों के आधार पर, ग्राम सभा आयोजित करने के दो विकल्प सुझाए गए हैं। इनमें से कुछ तरीकों का अन्य मामलों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया गया है।

- कई घुमंतू पशुपालक समुदाय बसे हुए गांवों के निवासी होते हैं और चराई के लिए मौसमी पलायन करते हैं। इन स्थितियों में, ग्राम सभा और वन अधिकार समिति का गठन उनके निवास के गांव में किया जा सकता है, जहां वे अपने दावे दायर कर सकते हैं। हो सकता है कि इन गांवों में घुमंतू पशुपालक समुदायों के साथ अन्य समुदायों भी रहते हों, इसलिए ग्राम सभा के गठन के समय घुमंतू समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ज़रूरी है।
- ऐसे घुमंतू और अर्ध-घुमंतू पशुपालक समुदाय जो काफी लंबा समय अपने निवास के गांव के बाहर बिताते हैं, वे उन गांवों/टोलों के स्थानीय समुदायों की ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, जहां के जंगलों का वे इस्तेमाल करते हैं।

❖ ग्राम सभा की ज़िम्मेदारियाँ

वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया की अगुवाई ग्राम सभा द्वारा की जाती है। प्रक्रिया की शुरुआत वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा तय करके और वन अधिकार समिति के गठन से की जाती है, जिसके बाद ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समिति के फैसलों की समीक्षा की जाती है। क्योंकि घुमंतू पशुपालक समूह साल के एक लंबे समय के दौरान साझा संसाधनों से दूर रहते हैं, इसलिए ग्राम सभा और वन अधिकार समिति द्वारा घुमंतू पशुपालक समुदायों (उनके प्रतिनिधियों या पारंपरिक संस्थानों) की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम सभा की ज़िम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

1. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वन निवासियों के वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा तय करना;
2. इनसे जुड़े दावे आमंत्रित करना और उन पर सुनवाई करना;
3. वन अधिकार के दावेदारों की सूची तैयार करना और इन दावेदारों और उनके दावों के विवरण का एक रजिस्टर तैयार करना;
4. सभी संबंधित व्यक्तियों और प्राधिकरणों को अपना पक्ष

रखने का उचित मौका देने के बाद वन अधिकार के दावों पर प्रस्ताव पारित करना और उन्हें उपखंड स्तरीय समिति को भेजना;

5. अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अपने सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों का चयन करके वन्यजीव, जंगलों और जैव-विविधता के संरक्षण के लिए समितियों का गठन करना;
6. खंड (ई) के अनुसार, गठित की गई वन अधिकार समिति के काम पर निगरानी रखना, जो सामुदायिक वन संसाधनों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करेंगी और वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लाभ के लिए इन संसाधनों की न्यायसंगत रूप से देखरेख करेंगी;
7. ग्राम सभा इन संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं को वन विभाग की सूक्ष्म, कार्य या प्रबंधन योजनाओं से जोड़ेंगी, और इसके लिए इन योजनओं में समिति द्वारा ज़रूरी समझे गए बदलाव किये जा सकते हैं;
8. वन अधिकार समिति द्वारा आवाजाही के परमिट, उत्पादों की बिक्री से होने वाली आमदनी के इस्तेमाल या प्रबंधन योजना में बदलाव के संबंध में किये गए फैसलों को स्वीकृति देना।

वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया की अगुवाई ग्राम सभा द्वारा की जाती है। प्रक्रिया की शुरुआत वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा तय करके और वन अधिकार समिति के गठन से की जाती है, जिसके बाद ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समिति के फैसलों की समीक्षा की जाती है।

वन अधिकार समिति

❖ इसका गठन कैसे किया जाता है?

1. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी और इस पहली बैठक में ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन अधिकार समिति के सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिनकी संख्या दस से पंद्रह के बीच होनी चाहिए। इन सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति से होंगे, और:
   - इन सदस्यों में से कम से कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी;
   - जहां अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं हैं, वहां ऐसी कम से कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

   यहां ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उन इलाकों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, जैसा कि अक्सर घुमंतू पशुपालकों के क्षेत्रों में देखा जाता है, वहां अन्य पारंपरिक वन निवासी समुदायों के सदस्यों को शामिल करके वन अधिकार समिति का गठन किया जा सकता है। अतः, उन इलाकों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, वहां अन्य पारंपरिक वन निवासी समुदायों के रूप में घुमंतू पशुपालक समुदायों के साथ वन अधिकार समिति का गठन किया जा सकता है।

2. वन अधिकार समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और सचिव का चयन करेगी और इनका विवरण उपखंड स्तरीय समिति को भेजेगी। अगर वन अधिकार समिति का कोई सदस्य खुद वैयक्तिक वन अधिकार का देवदार हो, तो वह इसके बारे में समिति को सूचित करेगा/करेगी और अपने दावे के सत्यापन की कार्यवाही के दौरान समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा/लेगी।

❖ वन अधिकार समिति की ज़िम्मेदारियाँ

- वन अधिकार अधिनियम के नियम 11(2) के अनुसार, वन अधिकार समिति द्वारा ग्राम सभा को निम्न कार्यों में सहयोग दिया जाएगा:-
  1. दावों और उनके समर्थन में पेश किये गए प्रमाणों को निर्धारित रूप में प्राप्त करना, स्वीकार करना और रखना;
  2. दावों और नक्शों समेत दावों से जुड़े प्रमाणों का रिकॉर्ड तैयार करना;
  3. वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करना;
  4. इन दावों का नियमानुसार सत्यापन करना;
  5. दावों की प्रकृति और सीमा के संबंध में अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के सामने आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करना;

- वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त किये गए सभी दावों को लिखित में स्वीकार किया जाएगा। अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुबंध I के अनुसार, ग्राम सभा के बिनाह पर वन अधिकार समिति फॉर्म बी में सामुदायिक वन अधिकार के दावे और धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (1) के अनुसार फॉर्म सी में सामुदायिक वन संसाधनों से जुड़े दावे तैयार करेगी।

उपखंड स्तरीय समिति

उपखंड स्तरीय समिति और जिला समिति दावों के आधार पर पट्टे और अधिकार-अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उपखंड स्तरीय समिति, दावों के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा भेजी गई सिफारिशों को प्राप्त करके उनकी जांच करती है। उपखंड स्तरीय समिति अधिकार-अभिलेख का एक मसौदा तैयार करके जिला समिति को उनकी मंजूरी के लिए भेजती हैं।

❖ उपखंड स्तरीय समिति की संरचना

निम्नलिखित सदस्यों की संरचना वाली उपखंड स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है:

- **उपखंड अधिकारी** या समकक्ष अधिकारी - अध्यक्ष;
- **उपखंड स्तरीय वन अधिकारी** या समकक्ष अधिकारी;
- जिला पंचायत द्वारा नामांकित **ब्लॉक (खंड) या तहसील स्तरीय पंचायत के तीन सदस्य।**
- इनमें से कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए और इनमें वन निवासी या विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (PVTG) के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- उन इलाकों में जहां अनुसूचित जनजाति की कोई आबादी नहीं है, वहां दो सदस्य अन्य पारंपरिक वन निवासी समुदायों के होने चाहिए और उनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है।
- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किये गए इलाकों में इन सदस्यों को स्वायत्त जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद द्वारा नामांकित किया जाएगा और इनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है।
- जनजातीय कल्याण विभाग के उपखंड स्तरीय अधिकारी और जहाँ ऐसे अधिकारी मौजूद न हो, वहां जनजातीय कार्य का प्रभार संभालने वाले अधिकारी।

❖ उपखंड स्तरीय समिति की ज़िम्मेदारियाँ

1. वन-निवासी समुदायों के बीच इस कानून और उसके नियमों के उद्देश्यों और निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना;
2. ग्राम सभा या वन अधिकार समिति द्वारा मांगी गई जानकारी या दस्तावेज़ उपलब्ध कराना और अधिकृत अधिकारी से इनके विषय में स्पष्टीकरण हासिल करने में सहयोग देना;
3. ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को वन और राजस्व नक़्शे और मतदाता सूची उपलब्ध कराना;
4. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा की बैठक मुक्त, स्वतंत्र और न्यायसंगत रूप से आयोजित की जाए;
5. यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुबंध I में दिए गए दावे दायर करने के फॉर्म (ए, बी और सी) दावेदारों को आसानी से और मुफ्त में उपलब्ध हों;
6. ग्राम सभा के सभी पारित प्रस्तावों को संकलित करना;
7. ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी नक्शों और विवरणों को संकलित करना;
8. दावों की सत्यता निर्धारित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों और तैयार किये गए नक्शों की जांच करना;
9. वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा को लेकर ग्राम पंचायतों के बीच के विवादों की सुनवाई करना और उनका फैसला करना;
10. अंतर-उपखंड दावों के लिए अन्य उपखंड स्तरीय समितियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही करना;
11. सरकारी दस्तावेज़ों के साथ मिलान करने के बाद प्रस्तावित वन अधिकारों के खंड-वार या तहसील-वार रिकॉर्ड का मसौदा तैयार करना;
12. उपखंड अधिकारी के ज़रिये, प्रस्तावित वन अधिकारों के रिकॉर्ड के मसौदे के साथ दावों को अंतिम निर्णय के लिए जिला स्तरीय समिति को भेजना।

जिला स्तरीय समिति

अधिनियम के तहत, जिला स्तरीय समिति दावों को मंजूर करने वाली सर्वोच्च प्राधिकरण है। जिला स्तरीय समिति, उपखंड स्तरीय समिति द्वारा भेजे गए अधिकार-अभिलेख के मसौदे को प्राप्त करके उसकी जांच करती है। दावे को मंजूर करने के बाद, जिला स्तरीय समिति अंतिम अधिकार-अभिलेख तैयार करती है और दावे दायर करने वाले समुदाय को पट्टे जारी करती है।

❖ जिला स्तरीय समिति की संरचना

निम्नलिखित सदस्यों वाली जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है:

1. जिला कलेक्टर या उपायुक्त - **अध्यक्ष;**
2. **सम्बंधित खंडिय वन अधिकारी** या सम्बंधित वन उपसंरक्षक;
3. जिला पंचायत द्वारा नामांकित तीन जिला पंचायत सदस्य;
   - इनमें से कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए और इनमें वन निवासी या विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (PVTG) के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
   - उन इलाकों में जहां अनुसूचित जनजाति की कोई आबादी नहीं है, वहां दो सदस्य अन्य पारंपरिक वन निवासी समुदायों के होने चाहिए और उनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है।
   - भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किये गए इलाकों में इन सदस्यों को स्वायत्त जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद द्वारा नामांकित किया जाएगा और इनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है।
   - **जनजातीय कल्याण विभाग** के जिला स्तरीय अधिकारी और जहां ऐसे अधिकारी मौजूद न हो, वहां जनजातीय कार्य का प्रभार संभालने वाले अधिकारी।

गुजरात में सामुदायिक वन अधिकार तय करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक

❖ जिला स्तरीय समिति की ज़िम्मेदारियाँ

1. यह सुनिश्चित करना कि नियम 6 के खंड (बी) के अनुसार ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाए;
2. यह सुनिश्चित करना कि सभी दावे, विशेष रूप से आदिवासी समूहों, घुमंतू पशुपालकों और बंजारे समुदायों के दावों पर अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाए;
3. उपखंड स्तरीय समिति द्वारा भेजे गए दावों और अधिकार-अभिलेख की जांच करना और उसे अंतिम मंजूरी देना;
4. अंतर-जिला दावों के लिए अन्य जिलों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही करना;
5. अधिकार-अभिलेख सहित सभी सरकारी दस्तावेज़ों में मंजूर किये गए वन अधिकारों को शामिल करने के निर्देश देना; वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करना;
6. अधिनियम के नियमों के अनुबंध II और III के अनुसार, दावेदारों और ग्राम सभाओं को वन अधिकार अभिलेख और पट्टों की प्रमाणित प्रति दिया जाना सुनिश्चित करना;
7. अधिनियम के नियमों के अनुबंध IV के अनुसार, सामुदायिक वन संसाधन से जुड़े वन अधिकार अभिलेख और पट्टों की प्रमाणित प्रति संबंधित ग्राम सभा या उस समुदाय को दिया जाना सुनिश्चित करना, जिसके सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकारों को धारा (3) की उपधारा (1) के खंड (आई) के तहत मंजूरी दी गई है।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

राज्य में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं और जनजाति कल्याण, राजस्व, वन और पंचायत राज विभागों के सचिव तथा जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य होते हैं।

❖ राज्य स्तरीय निगरानी समिति की संरचना

1. **मुख्य सचिव** - अध्यक्ष;
2. **सचिव, राजस्व विभाग** - सदस्य;
3. **सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग** - सदस्य;
4. **सचिव, वन विभाग** - सदस्य;
5. **सचिव, पंचायत राज विभाग** - सदस्य;
6. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** - सदस्य;
7. **जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामांकित जनजातीय सलाहकार परिषद** के तीन अनुसूचित जनजाति से आने वाले सदस्य, और जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद न हो, वहां राज्य सरकार द्वारा नामांकित तीन अनुसूचित जनजाति से आने वाले सदस्य;
8. **आयुक्त, जनजातीय कल्याण** या उनके समकक्ष अधिकारी - सदस्य-सचिव।

❖ राज्य स्तरीय निगरानी समिति की ज़िम्मेदारियाँ

1. वन अधिकार को मान्यता दिए जाने और पट्टे जारी करने की प्रक्रिया पर निगरानी (मॉनिटरिंग) के लिए मानदंड और सूचकांक तय करना;
2. राज्य में वन अधिकारों को मान्यता दिए जाने, उनके सत्यापन और पट्टे जारी किये जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखना;
3. वन अधिकारों को मान्यता दिए जाने, उनके सत्यापन और पट्टे जारी किये जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए तीन महीनों में कम से कम एक बार समिति की बैठक आयोजित करना;
4. ज़मींनी-स्तर पर वन अधिकारों के सत्यापन और पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का संज्ञान लेना और ज़मींनी-स्तर की समस्याओं को दूर करना;
5. दावों की मौजूदा स्थिति के मूल्यांकन के बारे में अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुबंध V में दिए गए फॉर्मेट में केंद्र सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजना। मंजूर किये गए दावों के विवरण और अधिनियम के तहत उठाए जाने वाले कदमों के अनुपालन पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा रिपोर्ट भेजा जाना भी अनिवार्य है। अगर दावों को अस्वीकार किया गया हो, तो उसके कारण भेजना भी ज़रूरी हैं। साथ-साथ, सभी लंबित दावों की मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजना भी आवश्यक है।
6. अधिनियम की धारा 8 के तहत नोटिस मिलने पर, संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ कानून अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करना;
7. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार पुनर्वास की प्रक्रिया पर निगरानी रखना;
8. विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (एम) और धारा 4 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुपालन पर निगरानी रखना। ◆

दावे दायर करने की प्रक्रिया

वन अधिकार अधिनियम के तहत घुमंतू पशुपालक समुदायों द्वारा दावे दायर करने और मंजूर कराने की सिलसिलेवार प्रक्रिया

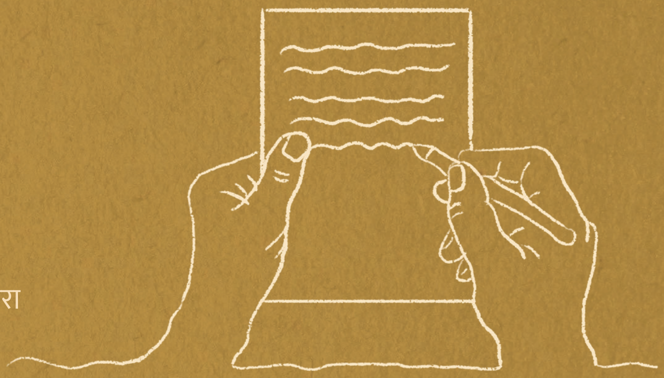

दावे दायर करने की प्रक्रिया

कदम 01

ग्राम सभा वन अधिकार समिति का गठन करेगी और वन अधिकार के लिए दावे आमंत्रित करेगी। यहां ग्राम सभा द्वारा घुमंतू पशुपालक समुदायों का प्रतिनिधित्व और सहभागिता सुनिश्चित करना ज़रूरी है।

कदम 02

वन अधिकार समिति दावों और उनके समर्थन में पेश किये गए प्रमाणों को प्राप्त, स्वीकार और संकलित करेगी। इन दावों को दायर किये जाने के दौरान घुमंतू पशुपालक समुदायों के पलायन के मार्गों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कदम 03

वन अधिकार समिति, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के सहयोग के साथ प्राप्त हुए दावों का सत्यापन करेगी। यहां, वन अधिकार समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावों का सत्यापन घुमंतू पशुपालक समुदाय के सदस्यों की मौजूदगी में किया जाए। दावे के साथ-साथ उससे जुड़े क्षेत्र को सीमांकित करते हुए एक नक्शा भी तैयार किया जाना चाहिए।

कदम 04

दावों की प्रकृति और सीमा के संबंध में वन अधिकार समिति के निष्कर्षों की ग्राम सभा द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, ग्राम सभा सभी दावों पर प्रस्ताव पारित करेगी और उन्हें उपखंड स्तरीय समिति को भेजेगी।

कदम 05

उपखंड स्तरीय समिति इन दावों की जांच करेगी और वन अधिकारों के अभिलेख का मसौदा तैयार करेगी, जिसे जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा।

कदम 06

जिला स्तरीय समिति, उपखंड स्तरीय समिति की सिफारिशों की जांच करेगी और वन अधिकारों के अभिलेख को अंतिम रूप देगी। फिर जिला स्तरीय समिति दावेदारों को पट्टे जारी करेगी। जिला स्तरीय समिति और उपखंड स्तरीय समिति की ज़िम्मेदारी है कि दावे दायर करने में घुमंतू पशुपालक समुदायों को सक्रिय रूप से समर्थन दें।

कदम 07

अगर प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर (ग्राम सभा/उपखंड/जिला स्तर) पर दावे अस्वीकार किये जाते हैं या उनमें बदलाव किया जाता है तो इससे संबंधित जानकारी दावेदारों को लिखित में दी जानी चाहिए। दावे नामंजूर किये जाने के विषय में शिकायत होने पर अपील याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए।

अगर घुमंतू पशुपालक कई प्रशासनिक और प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अपने पारंपरिक पलायन मार्गों पर अधिकार हासिल करना चाहें, तो वे यह दावे कहां दायर कर सकते हैं?

एक ही जिले की सीमा के भीतर अधिकारों का दावा करने वाले घुमंतू समुदाय, अक्सर चारे के लिए दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच पलायन करते हैं। इस स्थिति में, घुमंतू पशुपालक अपने निवास के गांवों की ग्राम सभाओं में अपने दावे दायर कर सकते हैं। इन मामलों में जिला स्तरीय समिति, उन सभी अन्य ग्राम सभाओं के सामने दावों को दायर करने में मदद करेंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले चारागाह का इस्तेमाल संबंधित घुमंतू पशुपालकों द्वारा किया जाता है (नियम 12 बी (2))। इसे संबंधित घुमंतू पशुपालकों और ग्राम सभाओं के साथ परामर्श के ज़रिये किया जाना चाहिए। उप-खंडिय सीमाओं के अंदर आने वाले मामलों के संबंध में, दावे की प्रक्रिया का समन्वय, उपखंड स्तरीय समिति (नियम 6(एच)) की ज़िम्मेदारी होगी।

एक ही राज्य के कई जिलों में चराई और संसाधनों के मौसमी इस्तेमाल के दावों वाले घुमंतू समुदाय, अपने निवास के गांवों की ग्राम सभाओं में अपने दावे दायर कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित जिले की जिला स्तरीय समिति, संबंधित ग्राम सभाओं (नियम 12b(2)) के समक्ष दावों को दाखिल करने में मदद करेंगी और अंतर-जिला दावों (नियम 8 (e)) के बारे में अन्य संबंधित जिला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। यह दावों की जांच करने के लिए संबंधित जिला स्तरीय समिति

एक ही जिले की सीमा के भीतर अधिकारों का दावा करने वाले घुमंतू समुदाय, अक्सर चारे के लिए दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच पलायन करते हैं। इस स्थिति में, घुमंतू पशुपालक अपने निवास के गांवों की ग्राम सभाओं में अपने दावे दायर कर सकते हैं।

की संयुक्त बैठक के आयोजन के ज़रिये किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, जिस जिला स्तरीय समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित ग्राम सभाएं आती है, उसे अन्य जिला स्तरीय समितियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करनी होगी।

कई राज्यों में चराई और संसाधनों के मौसमी इस्तेमाल के दावों वाले घुमंतू समुदाय, अपने निवास के गांवों की ग्राम सभाओं में अपने दावे दायर कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित जिले की जिला स्तरीय समिति, संबंधित ग्राम सभाओं (नियम 12 b(2)) के समक्ष दावों को दाखिल करने में मदद करेंगी और अंतर-

जिला दावों (नियम 8 (e)) के बारे में अन्य संबंधित जिला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी, जो दावों की जांच करने के लिए संबंधित जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के ज़रिये किया जा सकता है। चूंकि ऐसे दावे कई राज्यों से संबंधित है, इसलिए जिला स्तरीय समिति को राज्य स्तरीय निगरानी समिति से समर्थन की मांग करनी चाहिए। राज्य स्तरीय निगरानी समिति को अंतर-राज्यीय दावों के निर्धारण के लिए अन्य राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

प्रमाण

नियमों की धारा 13 में उन सभी प्रकारों के प्रमाणों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हे दावे दायर करने के दौरान स्वीकार किया जाना चाहिए। सूची में शामिल किये गए कुछ मुख्य प्रकार के प्रमाण, जो घुमंतू पशुपालकों के लिए विशेष महत्व के हो सकते हैं, निम्नलिखित हैं-

1. सरकारी रिकॉर्ड (गजेटियर और कार्य योजनाएं), घुमंतू पशुपालक समुदायों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड (उदाहरण के तौर पर वन अधिकार अधिनियम की धारा 13(2)(ए) के अनुसार: चराई परमिट, निस्तार- आदि), प्रतिष्ठित शोध संस्थानों की रिपोर्ट, नक्शे, घुमंतू पशुपालक समुदायों द्वारा वन भूमि का पारंपरिक इस्तेमाल या उन तक पहुंच के बारे में जानकारी वाली जनगणना की रिपोर्ट।
2. समुदाय के बुज़ुर्गों का बयान (13(1)(आई))।
3. भौतिक सबूत, उदाहरण के तौर पर, जैसे की धारा 13(2)(बी) में कहा गया है- 'पारंपरिक चारागाह...मानव या पशुधन के इस्तेमाल के लिए पानी के स्रोत, आदि'।
4. ज़मीन के पुराने दस्तावेज़ों में जिन लोगों का नाम मौजूद है उनका या पुराने समय में गांव के वैध निवासी माने जाने वाले व्यक्ति के वंशज होने का सबूत; (13(एच))

इन प्रमाणों के नमूने नीचे दिए गए हैं:

- कार्य योजनाएं
- चराई कर की रसद
- राजा/महाराजा का पत्र
- जैव सांस्कृतिक समुदाय नियमावली (बीसीपी)

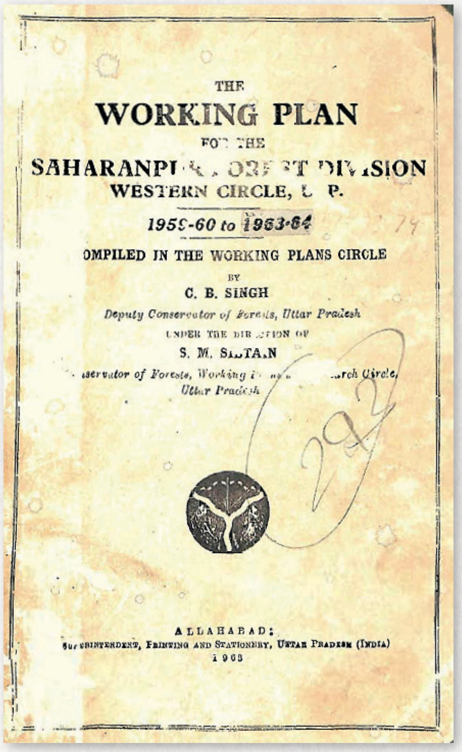

THE

WORKING PLAN

FOR THE

SAHARANPUR FOREST DIVISION

WESTERN CIRCLE, U. P.

1959-60 to 1963-64

COMPILED IN THE WORKING PLANS CIRCLE

BY

C. B. SINGH

Deputy Conservator of Forests, Uttar Pradesh

UNDER THE DIRECTION OF

S. M. SIBTAIN

Conservator of Forests, Working Plans and Research Circle, Uttar Pradesh

ALLAHABAD:

SUPERINTENDENT, PRINTING AND STATIONERY, UTTAR PRADESH (INDIA)

1963

सहारनपुर वन खंड की कार्य योजना दस्तावेज का मुख्यपृष्ठ, 1959,60 - 1963,64

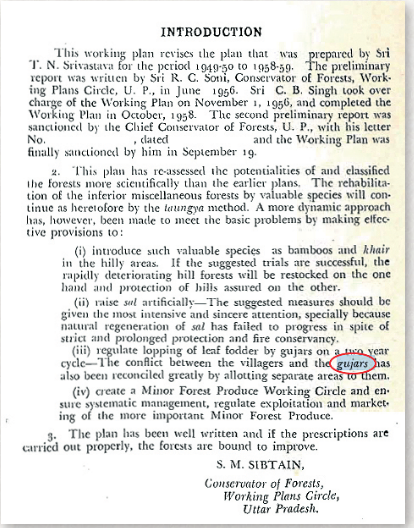

INTRODUCTION

This working plan revises the plan that was prepared by Sri T. N. Srivastava for the period 1949-50 to 1958-59. The preliminary report was written by Sri R. C. Soni, Conservator of Forests, Working Plans Circle, U. P., in June 1956. Sri C. B. Singh took over charge of the Working Plan on November 1, 1956, and completed the Working Plan in October, 1958. The second preliminary report was sanctioned by the Chief Conservator of Forests, U. P., with his letter No. , dated and the Working Plan was finally sanctioned by him in September 19.

2. This plan has re-assessed the potentialities of and classified the forests more scientifically than the earlier plans. The rehabilitation of the inferior miscellaneous forests by valuable species will continue as heretofore by the *taungya* method. A more dynamic approach has, however, been made to meet the basic problems by making effective provisions to:

(i) introduce such valuable species as bamboos and *khair* in the hilly areas. If the suggested trials are successful, the rapidly deteriorating hill forests will be restocked on the one hand and protection of hills assured on the other.

(ii) raise *sal* artificially—The suggested measures should be given the most intensive and sincere attention, specially because natural regeneration of *sal* has failed to progress in spite of strict and prolonged protection and fire conservancy.

(iii) regulate lopping of leaf fodder by gujars on a two year cycle—The conflict between the villagers and the *gujars* has also been reconciled greatly by allotting separate areas to them.

(iv) create a Minor Forest Produce Working Circle and ensure systematic management, regulate exploitation and marketing of the more important Minor Forest Produce.

3. The plan has been well written and if the prescriptions are carried out properly, the forests are bound to improve.

S. M. SIBTAIN,

Conservator of Forests,
Working Plans Circle,
Uttar Pradesh.

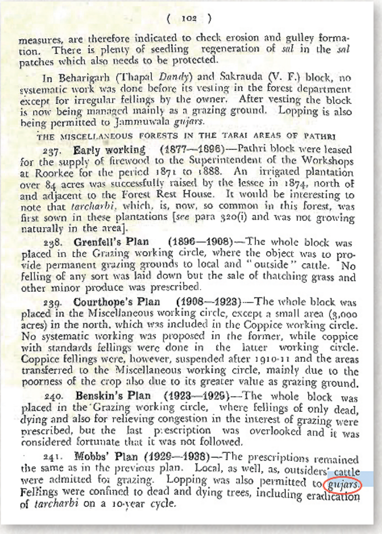

(102)

measures, are therefore indicated to check erosion and gulley formation. There is plenty of seedling regeneration of *sal* in the *sal* patches which also needs to be protected.

In Beharigarh (Thapal *Dandy*) and Sakrauda (V. F.) block, no systematic work was done before its vesting in the forest department except for irregular fellings by the owner. After vesting the block is now being managed mainly as a grazing ground. Lopping is also being permitted to Jammuwala *gujars*.

THE MISCELLANEOUS FORESTS IN THE TARAI AREAS OF PATHRI

237. **Early working** (1877—1896)—Pathri block were leased for the supply of firewood to the Superintendent of the Workshops at Roorkee for the period 1871 to 1888. An irrigated plantation over 84 acres was successfully raised by the lessee in 1874, north of and adjacent to the Forest Rest House. It would be interesting to note that *tarcharbi*, which, is, now, so common in this forest, was first sown in these plantations [*see* para 320(i) and was not growing naturally in the area].

238. **Grenfell's Plan** (1896—1908)—The whole block was placed in the Grazing working circle, where the object was to provide permanent grazing grounds to local and "outside" cattle. No felling of any sort was laid down but the sale of thatching grass and other minor produce was prescribed.

239. **Courthope's Plan** (1908—1923)—The whole block was placed in the Miscellaneous working circle, except a small area (3,000 acres) in the north, which was included in the Coppice working circle. No systematic working was proposed in the former, while coppice with standards fellings were done in the latter working circle. Coppice fellings were, however, suspended after 1910-11 and the areas transferred to the Miscellaneous working circle, mainly due to the poorness of the crop also due to its greater value as grazing ground.

240. **Benskin's Plan** (1923—1929)—The whole block was placed in the Grazing working circle, where fellings of only dead, dying and also for relieving congestion in the interest of grazing were prescribed, but the last prescription was overlooked and it was considered fortunate that it was not followed.

241. **Mobbs' Plan** (1929—1938)—The prescriptions remained the same as in the previous plan. Local, as well, as, outsiders' cattle were admitted for grazing. Lopping was also permitted to *gujars*. Fellings were confined to dead and dying trees, including eradication of *tarcharbi* on a 10-year cycle.

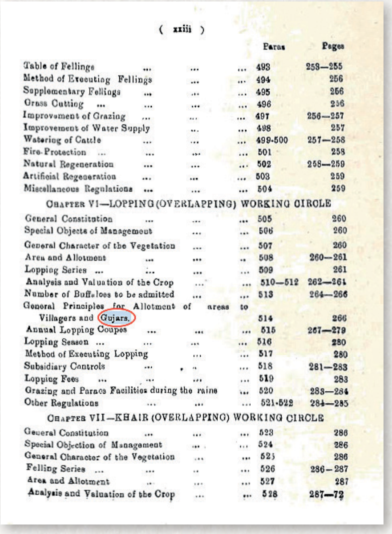

(xxiii)

	Paras	Pages
Table of Fellings	493	253—255
Method of Executing Fellings	494	256
Supplementary Fellings	495	256
Grass Cutting	496	256
Improvement of Grazing	497	256—257
Improvement of Water Supply	498	257
Watering of Cattle	499-500	257—258
Fire-Protection	501	258
Natural Regeneration	502	258—259
Artificial Regeneration	503	259
Miscellaneous Regulations	504	259
CHAPTER VI—LOPPING (OVERLAPPING) WORKING CIRCLE		
General Constitution	505	260
Special Objects of Management	506	260
General Character of the Vegetation	507	260
Area and Allotment	508	260—261
Lopping Series	509	261
Analysis and Valuation of the Crop	510—512	262—264
Number of Buffaloes to be admitted	513	264—266
General Principles for Allotment of areas to Villagers and Gujars.	514	266
Annual Lopping Coupes	515	267—279
Lopping Season	516	280
Method of Executing Lopping	517	280
Subsidiary Controls	518	281—283
Lopping Fees	519	283
Grazing and Paraos Facilities during the rains ...	520	283—284
Other Regulations	521-522	284—285
CHAPTER VII—KHAIR (OVERLAPPING) WORKING CIRCLE		
General Constitution	523	286
Special Objection of Management	524	286
General Character of the Vegetation	525	286
Felling Series	526	286—287
Area and Allotment	527	287
Analysis and Valuation of the Crop	528	287—72

वन विभाग द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना के कुछ पृष्ठ, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के गुज्जर घुमंतू पशुपालकों के वन संसाधन इस्तेमाल करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है

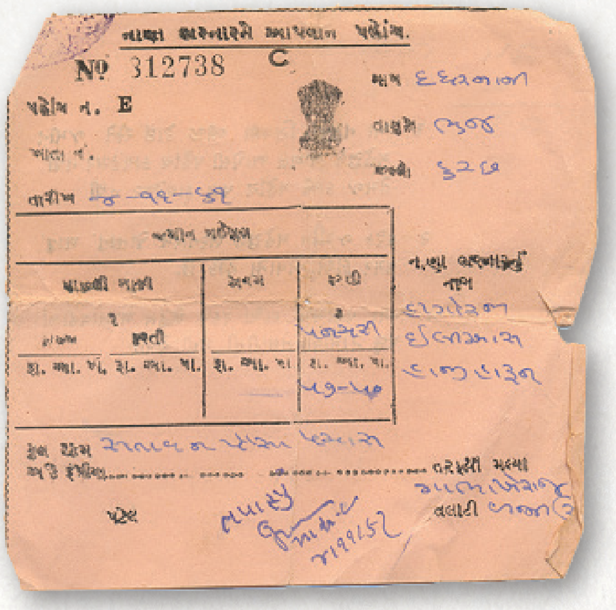

कच्छ, 1961 में चराई कर की रसीद।

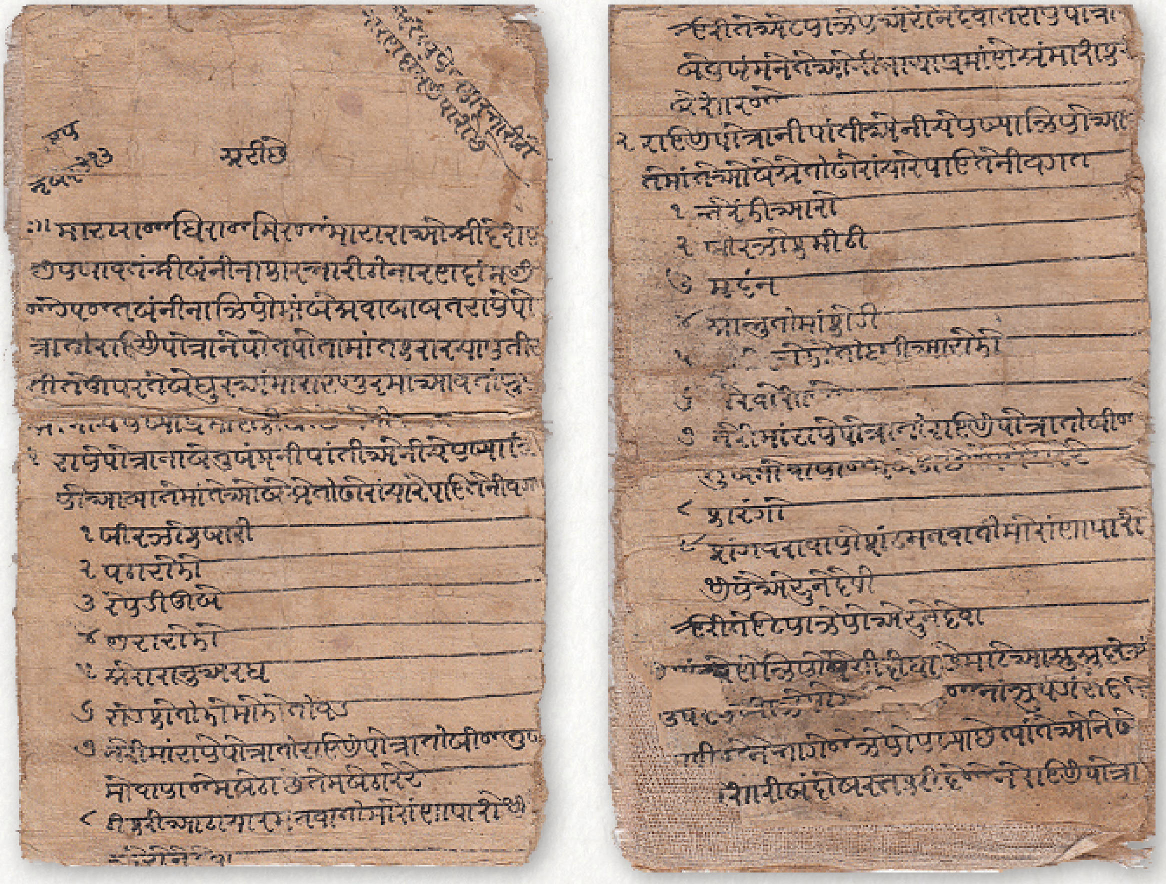

राजकुमार द्वारा 1856 में लिखा गया पत्र, कच्छ - बन्नी (गुजरात)। विभिन्न घुमंतू पशुपालक समुदायों के बीच जल और चराई के संसाधनों को लेकर टकराव के संदर्भ में राजकुमार ने यह पत्र विभिन्न समूहों के अलग-अलग क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए लिखा था।

घुमंतू पशुपालकों के पलायन के पैटर्न

राज्य के भीतर

राज्य के पार

जिले के भीतर

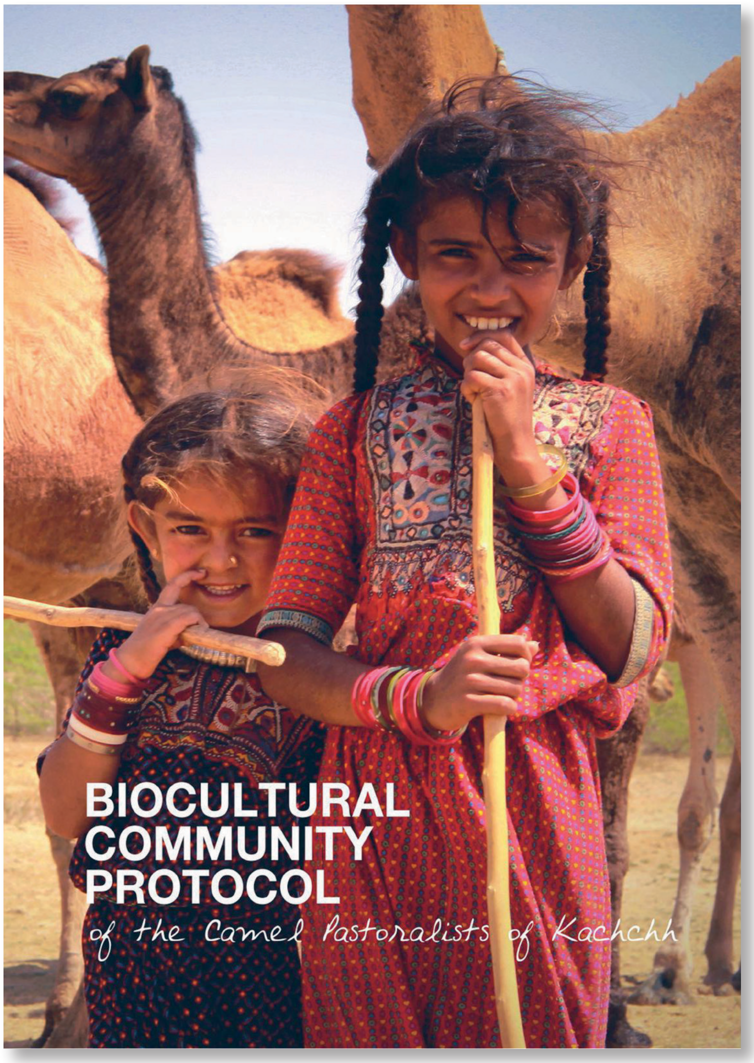

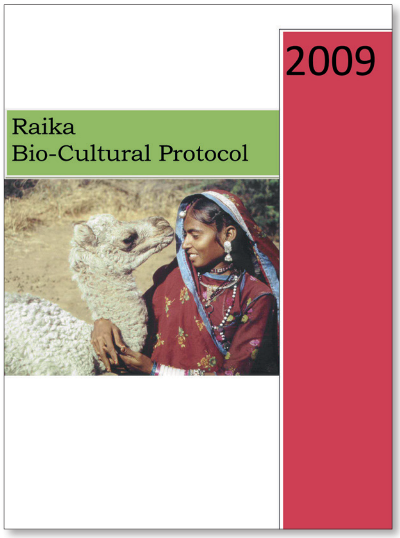

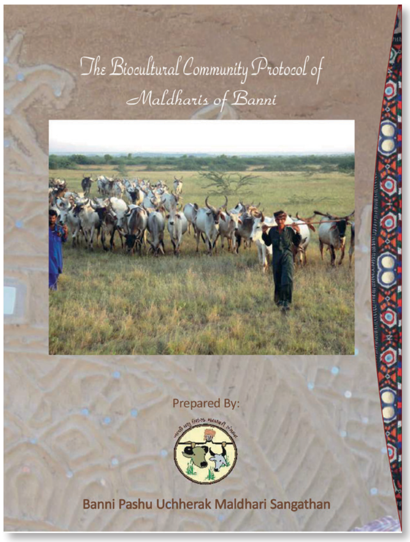

घुमंतू समुदायों की सहभागिता के साथ उनकी जीवन शैली का दस्तावेजीकरण करने वाले विभिन्न जैव-सांस्कृतिक सामुदायिक प्रोटोकॉल (बीसीपी) से ली गई छवियों का एक मिश्रित चित्र (कोलाज)।

नक्शा तैयार करना (मानचित्रण)

दावे से संबंधित क्षेत्र को चित्रित करने वाला एक नक्शा तैयार करना वन अधिकार समिति की ज़िम्मेदारी है। यह जानी-पहचानी जगहों को चिन्हित करने वाला सामुदायिक वन संसाधनों का एक सरल सा रेखाचित्र भी हो सकता है।

ऐसे कुछ नक्शों के उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये गए हैं:

- रेखाचित्र नक्शा (हाथ से बनाया हुआ नक्शा)
- डिजिटल नक्शा

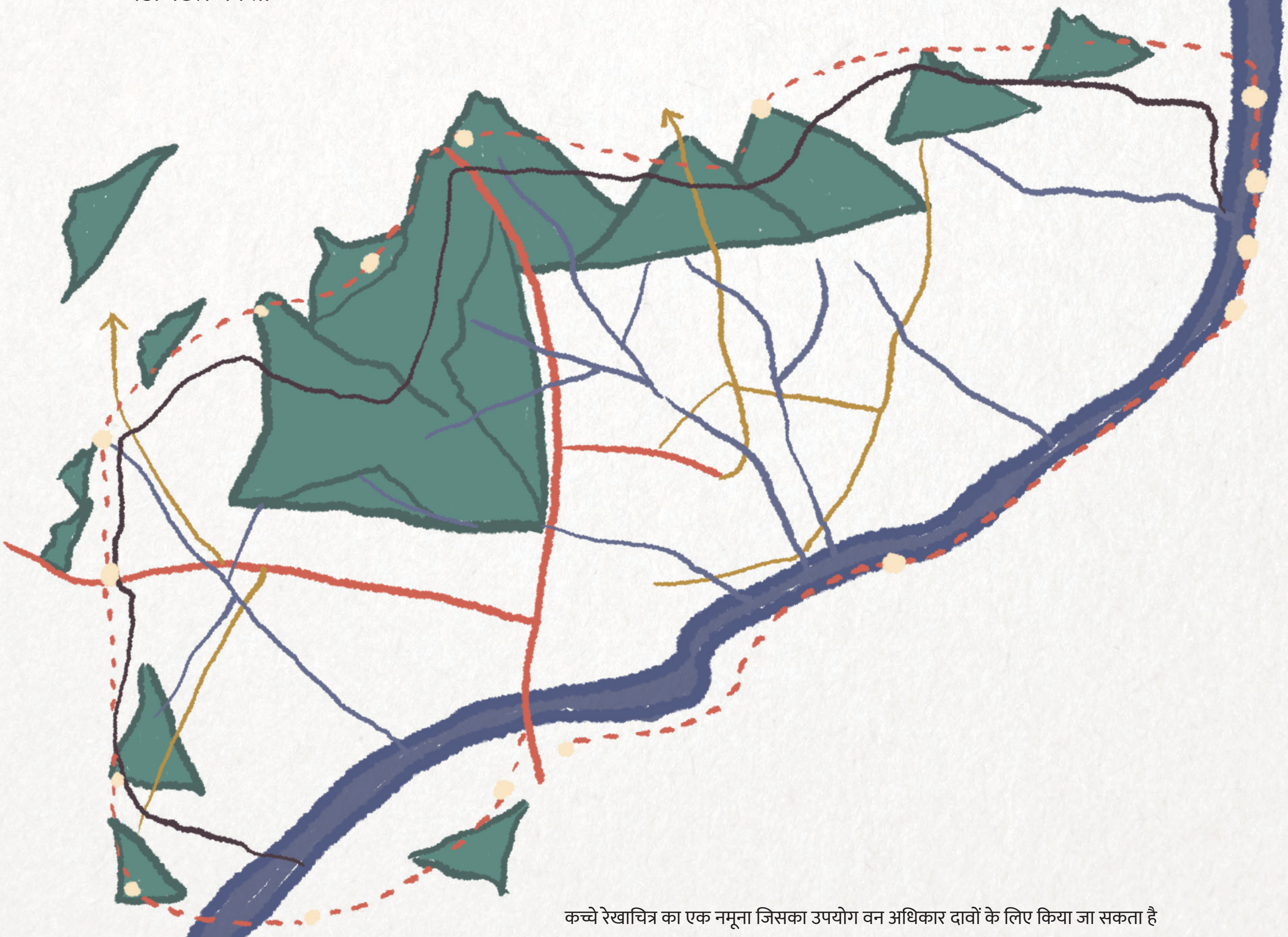

कच्चे रेखाचित्र का एक नमूना जिसका उपयोग वन अधिकार दावों के लिए किया जा सकता है

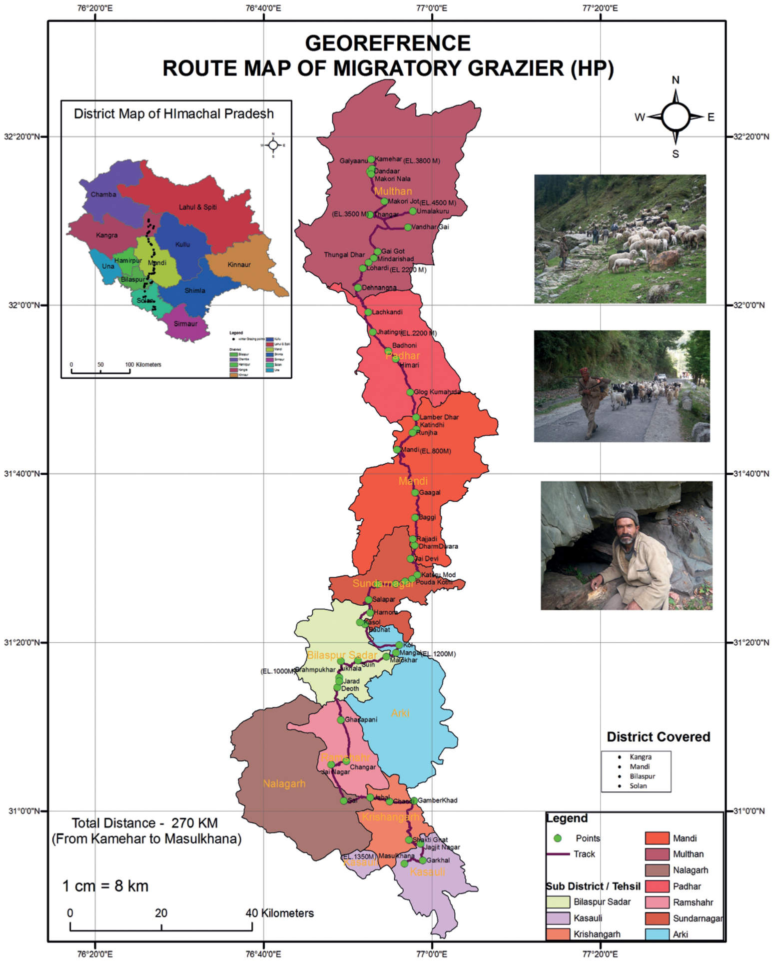

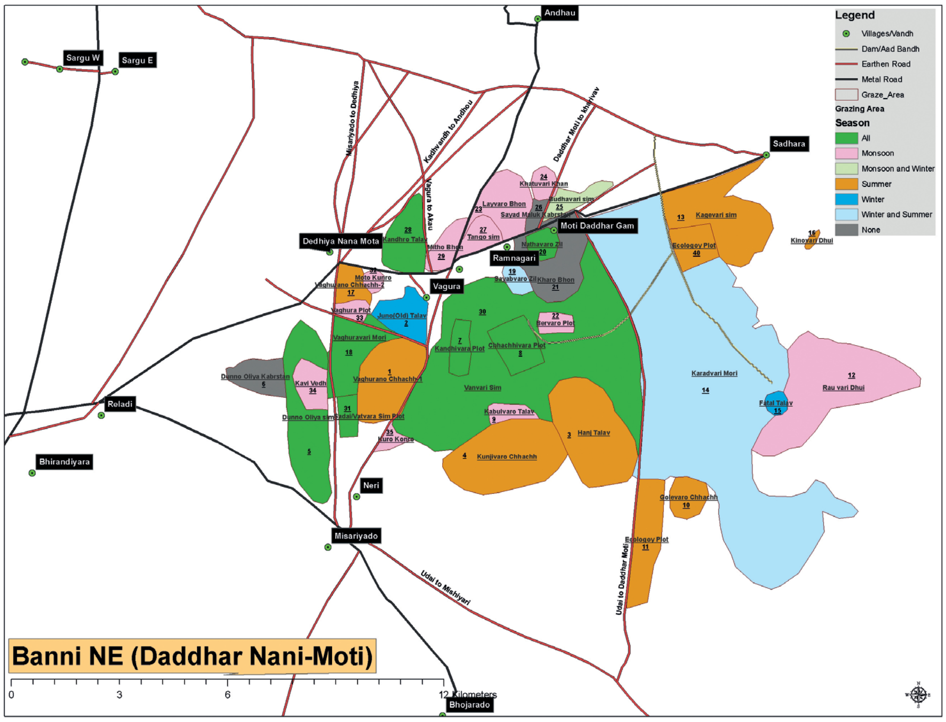

पलायन मार्ग और चराई क्षेत्र के डिजिटल नक्शों के कुछ नमूने (हिमाचल और बन्नी, गुजरात से) जिनका उपयोग वन अधिकार दावों के लिए किया जा सकता है

शिकायत और अपील

किसी भी स्तर पर दावे को अस्वीकार किये जाने या उसमें बदलाव किये जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराने या फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए अधिनियम के तहत कई स्तर पर प्रावधान किये गए हैं।

शिकायत और अपील

1. दावे को अस्वीकार किये जाने या उसमें बदलाव किये जाने के निर्णय के बारे में और इस फैसले के विस्तृत कारणों के बारे में दावेदार/ग्राम सभा को सूचित किया जाना चाहिए (60 दिनों की अवधि के भीतर, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।
2. अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों (ग्राम सभा, उपखण्ड या जिला स्तरीय समिति) के अलावा किसी भी अन्य समिति या किसी भी स्तर के अधिकारी को वन अधिकारों को नामंजूर करने का या उनमें बदलाव करने का या उनके संबंध में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
3. किसी भी असंतुष्ट दावेदार की याचिका का निस्तारण उन्हें अपने दावे के हक़ में प्रमाण पेश करने का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
4. किसी भी दावे को सिर्फ तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर बदला नहीं जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं:-
    - दावों में सम्पूर्ण जानकारी की कमी।
    - दावों के साथ प्रमाण के तौर पर दस्तावेजों की कमी।
    - दावों के साथ नक्शों का न होना।
    - सत्यापन की प्रक्रिया का पूरा न होना, आदि।
5. अगर सिफारिशों को अधूरा पाया जाता है या अतिरिक्त जांच की ज़रुरत होने पर, उपखंड या जिला स्तरीय समिति इन दावों में बदलाव करने या इन्हें अस्वीकार करने के बजाय इन्हें पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा को वापस भेजेगी।
6. अगर उपखंड स्तरीय समिति ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों को मजूर करती हैं, लेकिन जिला स्तरीय समिति इन्हें अस्वीकार करती है तो इसके कारण के साथ-साथ आदेश की प्रति दावेदार या ग्राम सभा या समुदाय को उपलब्ध कराई जाएगी।
7. उपखंड स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति प्रमाण के रूप में किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने पर जोर नहीं देंगी।
8. दावेदारों को नियुक्त किये गए प्राधिकरणों के समक्ष किसी भी निर्णय के खिलाफ निर्णय की तारीख के 60 दिनों के अंदर अपील करने का अधिकार है। [12ए(3) व धारा 6(2) & (4)]
9. किसी भी असंतुष्ट व्यक्ति की अपील याचिका का निस्तारण उन्हें उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। [अधिनियम की धारा 6(2) & 6(4)]
10. अपील की सुनवाई याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के गांव (ग्राम सभा) के किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जानी चाहिए और इसके बारे में उन्हें सुनवाई के कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। [नियम 14(2) & 15(2)]
11. कोई भी दावेदार/समुदाय, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के खिलाफ सीधे जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष अपील याचिका दायर करने के बाद ही किया जा सकता है। [अधिनियम की धारा 6(4)]
12. दावेदारों को, नियुक्त किये गए प्राधिकरणों के समक्ष किसी भी निर्णय के खिलाफ निर्णय की तारीख के 60 दिनों के अंदर अपील करने का अधिकार है। [12ए(3) व धारा 6(2) & (4)]
13. किसी भी असंतुष्ट व्यक्ति की अपील याचिका का निस्तारण उन्हें उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

[अधिनियम की धारा 6(2) & 6(4)]

14. अपील की सुनवाई याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के गांव (ग्राम सभा) के किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जानी चाहिए और इसके बारे में उन्हें सुनवाई के कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। [नियम 14(2) & 15(2)]

15. कोई भी दावेदार/समुदाय, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के खिलाफ सीधे जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष अपील याचिका दायर करने के बाद ही किया जा सकता है। [अधिनियम की धारा 6(4)]

अपील प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरणों की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

❖ ग्राम सभा के स्तर पर

अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करने से पहले, वन अधिकार समिति दावों को अस्वीकार करने या उनमें बदलाव करने के कारणों के बारे में दावेदारों को सूचित करेगी। दावे अस्वीकार किये जाने के बारे में सूचना मिलने पर दावेदार वन अधिकार समिति के निष्कर्षों के खिलाफ ग्राम सभा के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

ग्राम सभा या तो दावेदार के दावों को मंजूर कर सकती है या उनकी याचिका को नामंजूर कर सकती है।
अगर ग्राम सभा द्वारा याचिका ख़ारिज की जाती है, तो ग्राम सभा द्वारा दावेदार को इसके कारण के बारे में सूचित किया जाएगा और सूचित किये जाने के 60 दिनों के अंदर उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष अपील दायर करने के दावेदार के अधिकार के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

❖ उपखंड स्तरीय समिति के स्तर पर

ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ शिकायतकर्ता या दावेदार की याचिका की सुनवाई की प्रक्रिया और तरीका नियम 14 में निर्धारित किया गया है। सुनवाई दो प्रकार से की जा सकती है: उपखंड स्तरीय समिति द्वारा सीधी सुनवाई के ज़रिये या याचिका को पुनर्विचार के लिए वापस ग्राम सभा को भेजने के ज़रिये।

अगर सुनवाई सीधे तौर पर उपखंड स्तरीय समिति के सामने की जाती है, तो सुनवाई की तारीख उपखंड स्तरीय समिति द्वारा तय की जाएगी। इसके बाद, उपखंड स्तरीय समिति सुनवाई के 15 दिन पहले एक सार्वजनिक नोटिस के ज़रिये याचिकाकर्ता और ग्राम सभा को सूचित करेगी। सुनवाई याचिकाकर्ता के गांव के किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी। उपखंड स्तरीय समिति दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता और ग्राम सभा के बिनाह पर वन अधिकार समिति) का मत सुनेगी, और इसके बाद याचिका को मंज़ूर या ख़ारिज करते हुए उचित आदेश जारी करेगी। उपखंड स्तरीय समिति अपने निर्णय के बारे में दोनों पक्षों को लिखित में सूचित करेगी। उपखंड स्तरीय समिति दोनों पक्षों को अपने निर्णय के खिलाफ जिला स्तरीय समिति के समक्ष, निर्णय की तारीख से 60 दिनों के अंदर अपील दायर करने के उनके अधिकार के बारे में भी सूचित करेगी।

अगर याचिका को पुनर्विचार के लिए वापस ग्राम सभा को भेजा जाता है, तो इसके संबंध में जानकारी याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए। उपखंड स्तरीय समिति से यह पुनर्विचार पत्र मिलने के बाद, याचिका की सुनवाई के लिए 30 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। सुनवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक की तारीख और स्थान की सूचना वन अधिकार समिति द्वारा याचिकाकर्ता को दी जाएगी। ग्राम सभा की बैठक खुले, स्वतंत्र और न्यायसंगत रूप से की जाए, यह सुनिश्चित करना उपखंड स्तरीय समिति की ज़िम्मेदारी होगी। ग्राम सभा की इस बैठक की कार्यसाधक संख्या (कोरम) उसके आधे (50%)

सदस्यों की होगी। कम से कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ग्राम सभा याचिकाकर्ता का पक्ष सुनेगी और सुनवाई के आधार पर इस विषय पर प्रस्ताव पारित करके उसे उपखंड स्तरीय समिति को भेजेगी। ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का संज्ञान लेकर, उपखंड स्तरीय समिति याचिका को मंजूर या नामंजूर करते हुए, आदेश जारी करेगी। यह आदेश दोनों पक्षों को लिखित में सूचित किया जाएगा। उपखंड स्तरीय समिति दोनों पक्षों को अपने निर्णय के खिलाफ जिला स्तरीय समिति के समक्ष, निर्णय की तारीख से 60 दिनों के अंदर अपील दायर करने के उनके अधिकार के बारे में भी सूचित करेगी।

❖ जिला स्तरीय समिति के स्तर पर

उपखंड स्तरीय समिति के निर्णय के खिलाफ शिकायतकर्ता या दावेदार की याचिका की सुनवाई की प्रक्रिया और तरीका नियम 15 में निर्धारित किया गया है। सुनवाई दो प्रकार से की जा सकती है: जिला स्तरीय समिति द्वारा सीधी सुनवाई के ज़रिये या याचिका को पुनर्विचार के लिए वापस उपखंड स्तरीय समिति को भेजे जाने के ज़रिये।

अगर सुनवाई सीधे तौर पर जिला स्तरीय समिति के सामने की जाती है, तो सुनवाई की तारीख जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाएगी। इसके बाद, जिला स्तरीय समिति सुनवाई के 15 दिन पहले एक सार्वजनिक नोटिस के ज़रिये याचिकाकर्ता और उपखंड स्तरीय समिति को सूचित करेगी। सुनवाई याचिकाकर्ता के गांव के किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी। जिला स्तरीय समिति दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता और उपखंड स्तरीय समिति) का मत सुनेगी, और इसके बाद याचिका को मंज़ूर या ख़ारिज करते हुए उचित आदेश जारी करेगी। जिला स्तरीय समिति अपने निर्णय के बारे में दोनों पक्षों को लिखित में सूचित करेगी।

अगर याचिका को पुनर्विचार के लिए वापस उपखंड स्तरीय समिति को भेजा जाता है, तो इसके संबंध में जानकारी याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए। जिला स्तरीय समिति याचिकाकर्ता को सूचित करके याचिका को पुनर्विचार के लिए उपखंड स्तरीय समिति को वापस भेज सकती है। जिला स्तरीय समिति से यह पुनर्विचार पत्र मिलने के बाद, याचिका की सुनवाई की तारीख और स्थान की सूचना उपखंड स्तरीय समिति द्वारा याचिकाकर्ता और ग्राम सभा को दी जाएगी। उपखंड स्तरीय समिति दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता और ग्राम सभा) के मत सुनेगी तथा इस सुनवाई के आधार पर अपना निर्णय सुनाएगी और यह निर्णय जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। उपखंड स्तरीय समिति द्वारा भेजे गए निर्णय का संज्ञान लेकर जिला स्तरीय समिति याचिका को मंजूर या नामंजूर करते हुए, अपना आदेश जारी करेगी। इस आदेश की प्रति दोनों पक्षों को लिखित में सूचित की जाएगी। ◆

कुछ सफल उदाहरण और उनसे मिलने वाले सबक

घुमंतू पशुपालक समुदायों द्वारा अपने चराई संसाधनों पर अधिकार हासिल करने के लिए वन अधिकार अधिनियम का सफल उपयोग करने के दो उदाहरण यहां दिए गए हैं।

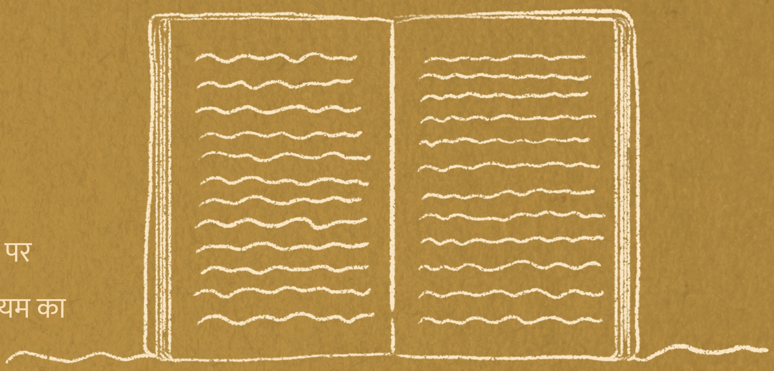

केस अध्ययन I:

गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बन्नी चारागाह के मालधारी (घुमंतू पशुपालक), वन अधिकार कानून के तहत सफलतापूर्वक सामुदायिक वन अधिकार हासिल करने वाले भारत के पहले घुमंतू पशुपालक समूह हैं।

❖ पृष्ठभूमि

बन्नी 2,500 वर्ग किमी के विस्तार वाला एक चारागाह है जिसे संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। घुमंतू/अर्ध-घुमंतू मालधारी पशुपालक समुदाय इसका पारंपरिक रूप से उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण करते आए हैं। फ़िलहाल, ज्यादातर बन्नी मालधारी समुदाय से आने वाले लगभग 7,000 परिवार, 19 पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 48 गांवों में फैले हुए हैं, जो अपनी बन्नी भैंसों और कंकरेज मवेशियों के साथ इन चरगाहों के बीच रहते हैं और उनपर पूरी तरह से निर्भर हैं। बन्नी चारागाह में कभी कोई आंतरिक सीमा रेखा नहीं खींची गई और इसलिए संसाधन तक पहुंच और उनके उपयोग पर किसी का भी एकाधिकार नहीं रहा है।

❖ जागरूकता और संगठन

2011 में बन्नी पशु उछेरक (प्रजनक) मालधारी संगठन (BPUMS) ने बन्नी के अधिकारों के बारे में सरकारी अधिकारियों से बातचीत शुरू की। कई दौर की चर्चा और जागरूकता पैदा करने के प्रयासों के बाद, खुद मालधारी समुदाय ने एक बड़ा फैसला लिया: बन्नी को एक साझा संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और सामुदायिक वन संसाधन के रूप में इसके लिए दावा दायर किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि किसी बड़े समुदाय द्वारा इतने विशाल भू-संसाधन पर सामूहिक रूप से अधिकार का दावा करने का यह पहला मामला था। 2012 में उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें इस क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम को लागू किये जाने और उनके परंपरागत अधिकारों को कानूनी मान्यता देने की मांग रखी गई।

❖ ग्राम सभा और वन अधिकार समिति का गठन

खुद घुमंतू पशुपालकों ने ग्राम सभा आयोजित करने और वन अधिकार समितियों का गठन करने की पहल करते हुए, वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने दावे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। नवंबर 2013 में, ग्राम सभाओं ने गांव स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन शुरू किया। 48 गांवों ने वन अधिकार समितियों का गठन किया और पारित किये गए प्रस्तावों को उपखंड और जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया से पहले, समुदाय के स्तर पर और जिला प्रशासन के साथ भी कई दौर की चर्चा की गयी। चूंकि मालधारी समुदाय स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए वन अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित ग्राम सभाओं में बहुत हद तक एकरूपता थी।

फोटो सौजन्य: सहजीवन

सामुदायिक वन अधिकार के दावों पर चर्चा के लिए ग्राम सभा की बैठक

पहला कदम था अधिकारों का निर्धारण, संसाधनों का नक्शा तैयार करना और संसाधनों तक विभिन्न समुदायों की पहुंच और उनके विभिन्न प्रकार के उपयोगों का निर्धारण। वन अधिकार समितियों ने सहजीवन, एक गैर-सरकारी संगठन, से संसाधनों का नक्शा तैयार करने में मदद करने का आग्रह किया। गांव स्तर पर, विभिन्न समूहों के साथ कई बैठकें आयोजित की गयी और विभिन्न चराई क्षेत्रों के मौसमी इस्तेमाल का एक नक्शा तैयार किया गया।

चूंकि सभी टोलों की ग्राम सभाओं की प्रक्रिया एक जैसी ही होने वाली थी, और क्योंकि यह टोले एक दूसरे से काफी दूरी पर और बड़े इलाके में फैले हुए थे, इसलिए सभी ग्राम सभाओं ने एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल और विचार-विमर्श के उद्देश्य से, एक महा ग्राम सभा (सामूहिक ग्राम सभा) का आयोजन किया। महा ग्राम सभा ने दावे दाखिल किये जाने और मंज़ूर किये जाने की प्रक्रिया के दौरान, समन्वय तंत्र की भूमिका निभाई।

❖ दावे दायर करने की प्रक्रिया

ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों द्वारा उठाया गया इस सब के बीच में, जिला प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से वन अधिकार समितियों का गठन करने का आदेश पारित किया गया, और इस तरह 2014 में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावे तैयार किए गए और दायर किए गए।

सभी ग्राम सभाओं के सचिवों और अध्यक्षों ने मिलकर विचार-विमर्श किया कि दावे किस तरह से दाखिल किये जाने चाहिए - पूरे बन्नी चारागाह पर एक ही दावा या कई सारे अलग-अलग दावे। कई दौर की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि हर ग्राम सभा अपने सामुदायिक वन अधिकार के दावे को तैयार

फोटो सौजन्य: सहजीवन

वन अधिकार के दावों पर चर्चा करने के लिए महिलाओं की सभा

करके दायर करेगी। लेकिन, हर दावे की मांग और रूपरेखा एक ही होगी और ये सभी दावे अंत में महा ग्राम सभा में पारित किए जाएंगे।

सभी दावों को ग्राम सभा और महा ग्राम सभा द्वारा मंज़ूरी दी गयी और उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा कुल 48 दावे की फाइलें तैयार की गई और महा ग्राम सभा में पारित की गई।

❖ ग्राम सभाओं ने वन अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिकारों का दावा किया

1. अधिनियम की धारा 3(1)(बी) के तहत निस्तार के अधिकार: निवास के अधिकार, चराई के अधिकार, जल संसाधनों पर अधिकार, आजीविका के लिए बन्नी चारागाह के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार।
2. अधिनियम की धारा 3(1)(सी) के तहत गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफपी) पर अधिकार: शहद, गोंद, घास, चारा, औषधीय पौधे, जलाऊ लकड़ी, आदि जैसे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने और सूखे के दौरान लकड़ी का कोयला बनाने के अधिकार।
3. निम्नलिखित सामुदायिक अधिकारों का दावा किया गया:
   - जल संसाधनों के उपयोग, मछली पकड़ने, मनुष्यों और जानवरों के लिए विभिन्न जलमय भूमि आदि के पानी के उपयोग के अधिकार।
   - चराई: धारा (3)(1)(डी) के तहत 2500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में, जानवरों के लिए चराई और संसाधनों तक मौसमी पहुंच का अधिकार।
   - कृषि-पूर्व समुदायों के बन्नी चारागाह पर चराई और निवास के अधिकार।
4. अधिनियम की धारा 3(1)(आई) के तहत प्रबंधन और शासन के अधिकार जिसके तहत वनों और जैव-विविधता की रक्षा का अधिकार भी शामिल है।

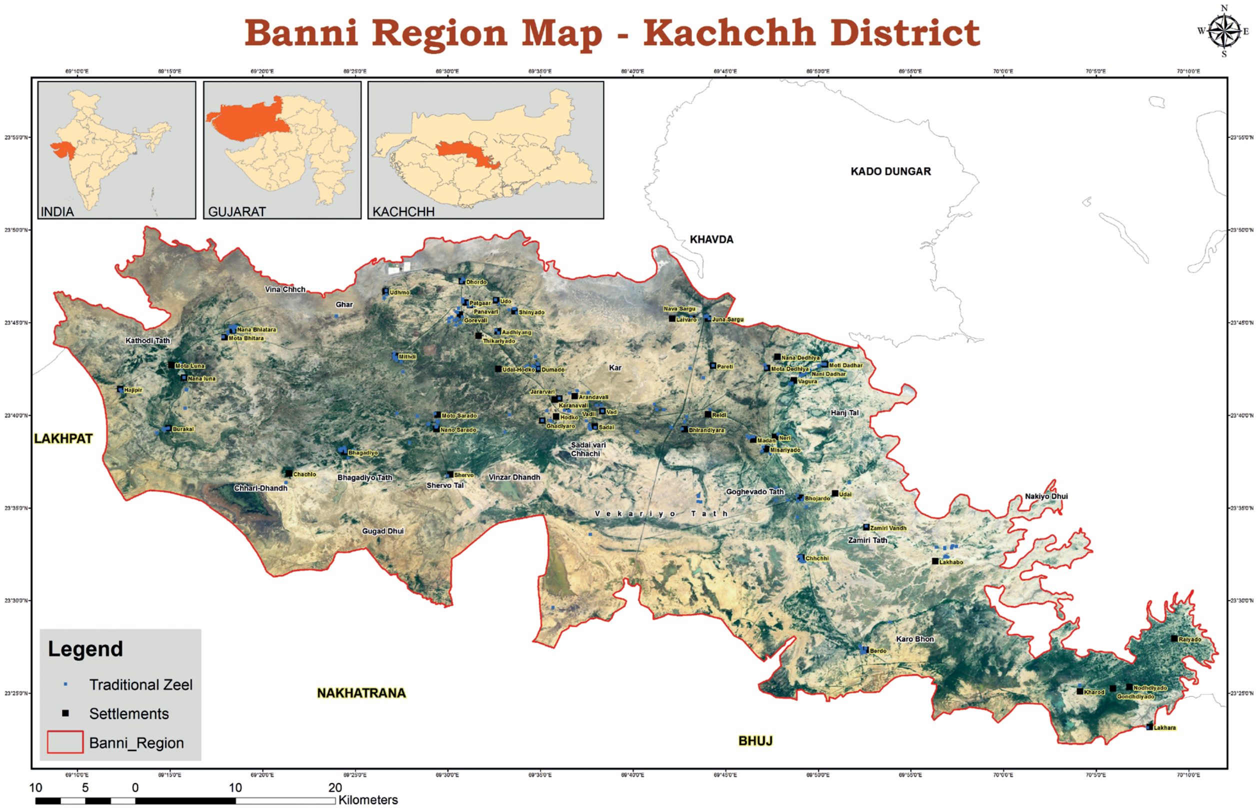

फोटो सौजन्य: सहजीवन

बन्नी के लिए तैयार किये गये डिजिटल नक़्शे का एक नमूना

5. अधिनियम की धारा 3(1)(एच) के तहत वन गांवों (वन विभाग के तहत आने वाले गांवों) को राजस्व गांवों में बदलना: सभी 53 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की मांग रखी गई थी।
6. अधिनियम की धारा (3)(1)(के) के तहत, जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा पर सामुदायिक अधिकारों के साथ-साथ जैव विविधता तक पहुंच के अधिकार, जिसमें बन्नी भैंस, कांकरेज मवेशी, कच्छी घोड़ा, भेड़ और बकरी की देसी नस्लें, कच्छी गधे जैसी पशुधन की मूल/देसी नस्लों के संरक्षण, बचाव और विकास के अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, इन नस्लों से होने वाले आर्थिक लाभों के संबंध में इस्तेमाल और लाभ बांटे जाने के अधिकार भी शामिल किये गए।
7. 3 (1)(एल) के तहत अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हों तो।

दावा दायर करने और इस वजह से, इन्हें मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया दो स्तरों पर हुई। सभी ग्राम सभाओं ने बन्नी चरागाह पर अपने सामुदायिक वन अधिकार को मंज़ूरी दी और दूसरे स्तर पर, अपने आस-पास के अन्य गांवों/उपयोगकर्ता समूहों द्वारा इनके इस्तेमाल के अधिकार को भी।

❖ सबूत और दस्तावेज़

बन्नी मालधारी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत, अन्य पारंपरिक वन निवासी की श्रेणी में मान्यता दी गयी है। उन्होंने अपने सामुदायिक वन अधिकार के दावे के समर्थन में मौटे तौर पर दो श्रेणियों के सबूतों का इस्तेमाल किया:

1. 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, स्थानीय शासक (महाराव) ने कई फैसले जारी किये थे जिनमें मालधारी और अन्य घुमंतू पशुपालक समुदायों के नामों का उल्लेख मिलता है और बन्नी का संदर्भ भी दिया गया है।
2. समुदाय के पास महाराव को दिए जाने वाले चराई कर के भुगतान की रसीदें थीं।

❖ राज्य और जिला स्तर के प्रशासनिक संस्थानों (जिला व उपखंड स्तरीय समिति और राज्य सरकार) की भूमिका

बन्नी के मामले में, प्रजनक संगठन जैसे समुदाय-संचालित संस्थानों और सक्रिय व प्रभावी राज्य प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से मिलने वाले सफल परिणामों को देखा जा सकता है। घुमंतू पशुपालक समुदायों द्वारा अधिकारों का दावा करने और उन्हें मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया में जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वतः जिम्मेदारी संभालने के महत्व को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। 2012 में गुजरात सरकार द्वारा, गुजरात के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया। एक साल के भीतर, कच्छ के कलेक्टर ने इसे अभियान का रूप देते हुए, वन भूमि वाले सभी गांवों में उपखंड तथा जिला स्तरीय समिति और ग्राम सभाओं के गठन के लिए आदेश जारी कर दिए। जिला कलेक्टर द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी की वन अधिकार अधिनियम के तहत जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति एक और महत्वपूर्ण कदम था। ग्राम सभाओं के साथ आवश्यक संख्या में सभाओं और विचार-विमर्श का आयोजन करने में उपखंड स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि, यहां इस बात का उल्लेख किया जाना ज़रूरी है कि दावों को मंज़ूरी दिए जानी की प्रक्रिया पूरी होने और उपखंड तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी 48 दावों को मंज़ूरी दिए जाने के बावजूद, घुमंतू पशुपालकों के सामुदायिक वन अधिकारों को अब भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है और ग्राम सभाओं को पट्टे दिए जाना अभी बाकी है। इस प्रक्रिया की सफलता और प्रशासनिक स्तर पर इसे दी गई स्वीकृति, हमारे सामने एक स्पष्ट अनुसरणीय उदाहरण पेश करती है; इस प्रक्रिया की अधूरी स्थिति को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ◆

केस अध्ययन II:

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की मुल्तान तहसील में प्रशासनिक और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके आने-जाने वाले घुमंतू पशुपालकों के प्रवास मार्ग पर अधिकारों के दावे और उन्हें मंजूरी

❖ पृष्ठभूमि

हिमाचली घुमंतू पशुपालन में, पहाड़ी घुमंतू पशुपालन की ही तरह, आम तौर पर गर्मियों और मानसून के मौसम के दौरान ऊंचाई के चारागाहों में चराई की जाती है, जबकि सर्दियों में हिमालय की तलहटी के जंगलों में चराई की जाती है। साल के करीब चार महीने इन गर्मियों और सर्दियों के चारागाहों के बीच आने-जाने में बिताए जाते हैं। प्रवास के दौरान, चरवाहे अपने पशुओं को सड़क के किनारे, गांव की साझा ज़मीनों पर और वन भूमि पर चराते हैं। 1999 में धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया और 2008 से चराई पर लगे प्रतिबंधों को और सख्त बना दिया गया। अभ्यारण्य के लिए अधिसूचित की गयी 1000 वर्ग किमी भूमि में से 700 वर्ग किमी से अधिक भूमि साझा चारागाह भूमि हुआ करती थी, जिसका इस्तेमाल न केवल 200 कृषि-पशुपालन करने वाले परिवार (मुल्तान के चरवाहा-आधारित परिवार) करते थे, बल्कि 600 अन्य घुमंतू पशुपालक भी सैंकड़ों सालों से ग्रीष्मकालीन चराई के लिए इनपर निर्भर थे।

❖ ग्राम सभा और वन अधिकार समिति का गठन

हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम को शुरुआत में केवल पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों - लाहौल, स्पीति तथा चंबा जिले के कुछ हिस्सों- में ही लागू किया गया, और बाद में पूरे राज्य में इसका विस्तार किया गया। 2014 में वन अधिकार समितियों का गठन शुरू हुआ।

❖ वन अधिकारों का निर्धारण और दावे दायर करने की प्रक्रिया

जब घुमंतू पशुपालक समुदायों ने मुल्तान में दावे दायर करना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 28 संबंधित ग्राम सभाओं के स्थानीय हितधारकों को ही नहीं, बल्कि विभिन्न जिलों के उन परिवारों को भी शामिल किया जो गर्मियों में मुल्तान में चराई के लिए आया करते थे। यह रणनीति इसलिए भी अपनाई गई ताकि कई हितधारकों को शामिल करने के ज़रिये सामुदायिक संसाधन के सामूहिक प्रबंधन की मांग को और मजबूत बनाया जा सके। विभिन्न जिलों के उन सभी लोगों की एक सूची तैयार की गई जो इन चारागाहों का उपयोग करते थे, और इसमें उनके द्वारा इस्तेमाल के महीनों की जानकारी भी शामिल की गई। मुल्तान के स्थानीय चरवाहों की भी इसी तरह की सूची बनाई गई जिसमें उनके द्वारा सर्दियों में चराई के लिए उपयोग किये जाने वाले जंगलों की जानकारी भी शामिल की गयी।

इस प्रकार, संसाधनों का नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया में चराई

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के एक कार्यालय में सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा दायर करते हुए समुदाय के सदस्य

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दावे दायर करने के बाद समुदाय के सदस्यों की बैठक

क्षेत्रों, घुमंतू चरवाहों के मार्गों और उनके रुकने की जगहों का दस्तावेजीकरण किया गया। सीमा पार वाले दावों को दायर करने के दौरान जो चुनौतीयां सामने आयी वे थीं- किस ग्राम सभा में दावे दायर करने हैं इसका निर्णय लेना और पलायन के दौरान मार्ग में पड़ने वाली सभी ग्राम सभाओं द्वारा इन दावों को पारित कराने की प्रक्रिया। मुल्तान में उन्होंने उन ग्राम सभाओं से दावों को दर्ज करने का फैसला किया जहां के वे निवासी थे और इन दावों में प्रवास के दौरान उपयोग किए जाने वाले संपूर्ण प्रवास मार्गों को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन स्थानों को भी शामिल किया गया जहां चरवाहे अपने प्रवास के दौरान रुका करते थे। चरवाहों के निवास वाली ग्राम सभाओं ने दावों को स्वीकार करते हुए उन्हें सत्यापित करने के बाद, आगे उपखंड स्तरीय समिति को भेज दिया। संसाधनों का नक्शा बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से चरवाहों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर पूरा किया गया।

चूंकि घुमंतू पशुपालकों द्वारा अंतर-जिला दावे दायर किये जाने का देश में यह पहला प्रयास था, इसलिए इसमें न केवल चराई क्षेत्रों, बल्कि पशुपालकों द्वारा प्रवास के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मार्गों का भी बारीकी से दस्तावेज़ीकरण किया गया, और इसमें प्रवास के दौरान उनकी रुकने की जगह और मार्ग में इस्तेमाल किये जाने वाले जल संसाधनों पर भी ख़ास ध्यान दिया गया। इसके अलावा, यह सभी गांव/जंगल जिन ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों, उपखंड और जिला स्तरीय समितियों के अंतर्गत आते थे, उनकी भी एक सूची तैयार की गई।

सभी हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई और दावे दायर करने से पहले और बाद की इस प्रक्रिया के दौरान सीमा रेखा का निर्धारण, अधिकारों की प्रकृति आदि पर गहरी चर्चा की गयी ताकि बाद में हितधारकों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा न हो। उदाहरण के तौर पर, बड़ा ग्रान ग्राम सभा ने खुद के चराई क्षेत्रों और बाहर से आने वाले चरवाहों के चराई क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित किया। बड़ा भंगाल गांव की ग्राम सभा ने बाहर से आने वाले चरवाहों को चराई के अधिकार देने का फैसला किया, लेकिन जड़ी-बूटी इकट्ठी करने के अधिकार नहीं। रूलिंग ग्राम सभा में, सहयोगकर्ताओं ने विभिन्न समूहों के साथ अलग-अलग परामर्श किया और फिर सभी समूहों के साथ एक संयुक्त परामर्श सभा आयोजित की। इनमें रूलिंग ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले समुदायों के बीच चर्चा और बातचीत के साथ-साथ, उन लोगों के साथ भी मशवरा किया गया जो गर्मियों में अपने पशुओं को चराने के लिए वहां आते हैं - यहां तक कि उन समुदाय के साथ भी बातचीत की गयी जो अपने गर्मियों के चारगाहों की तरफ जाते समय इस ग्राम सभा के क्षेत्र से बिना रुके गुज़रते हैं। इसके अलावा, उन्होंने उन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं के साथ भी विचार-विमर्श किया जो रूलिंग के निवासियों द्वारा सर्दियों की चराई के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। पूरी प्रक्रिया में लगभग दो साल लगे लेकिन घुमंतू पशुपालन और वन अधिकार अधिनियम की लोकतांत्रिक और समुदाय-आधारित भावना का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए, इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

❖ सबूत और दस्तावेज़

हिमाचल प्रदेश में, समुदाय जिन संसाधनों पर अधिकारों का दावा कर रहे थे, उनके समुदायों द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किये जाने के सबूत के तौर पर *वजिब-उल-अर्ज* (दस्तूरों का रिकॉर्ड) का इस्तेमाल किया गया। कर्नाथू ग्राम सभा में, प्रमाण के लिए सहायक दस्तावेजों के रूप में संबंधित वन प्रभाग (पालमपुर) की एक पुरानी कार्य योजना की प्रति और एंडरसन द्वारा लिखी गयी 'फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफ 1887' की एक प्रति भी पेश की गई थी।

❖ प्रशासनिक संस्थानों की भूमिका और कार्य

अंतर-उपखंड और अंतर-जिला दावों को सभी संबंधित संस्थानों को भेजना, हर परिवार या हर ग्राम सभा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी जिला स्तरीय समिति की है। कांगड़ा और उसके आसपास के घुमंतू पशुपालक समुदायों ने वन अधिकार

अधिनियम के इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया: नियम 8(ई) में कहा गया है कि जिला स्तरीय समिति के कार्यों में से एक है 'अंतर-जिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय स्थापित करना'।

❖ सामुदायिक वन अधिकारों पर स्वामित्व

घुमंतू पशुपालकों के संदर्भ में सामुदायिक अधिकारों के दो आयाम होते हैं - इन अधिकारों के धारक तो समुदाय होते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। जारी किए गए पट्टे संबंधित ग्राम सभा के सभी स्थायी निवासियों के नाम पर थे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से, इनमें कहा गया था कि 'अधिनियम की धारा 3(1)(डी) और (आई) के तहत, सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के भीतर घुमंतू और पशुचारक समुदायों की मौसमी पहुंच और उपयोग के अधिकारों का ग्राम सभा द्वारा सम्मान किया जाएगा। ग्राम सभा और इस तरह के उपयोगकर्ता समुदाय, अधिनियम की धारा 5 के तहत, संयुक्त रूप से क्षेत्र के सतत उपयोग के लिए नियम तय करेंगे'। ◆